षोडश माला, खंड 11, अंक 8 शुक्रवार, 31 जुलाई, 2015

9 श्रावण, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

(खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2015 / 1937 (शक)

अंक 8, शुक्रवार, 31 जुलाई, 2015 / 9 श्रावण, 1937 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
[1]*तारांकित प्रश्न संख्या 162 से 168	10-40
प्रश्नों के लिखित उत्तर	41
तारांकित प्रश्न संख्या 169 से 182	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	**42-84**
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
13वां प्रतिवेदन	85
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	85
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
15वां से 18वां प्रतिवेदन	86

[1]* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

(एक) सातवाँ प्रतिवेदन 87

(दो) विवरण 87

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

11वां प्रतिवेदन 88

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

187वां और 188वां प्रतिवेदन 88

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

86वां प्रतिवेदन 89

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) गुरदासपुर, पंजाब में आतंकवादी हमला

श्री राजनाथ सिंह 91-96

(दो) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह 97

(तीन) 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किए जाने के बारे में

श्री संतोष गंगवार 98

सभा का कार्य 99-104

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2015-16 105

सदस्यों द्वारा निवेदन

पंजाब के गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले के संबंध में गृहमंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य के बारे में 106-108

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 12वें और 13वें प्रतिवेदन के बारे में 140-144

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों, जो देश के विभिन्न भागों में दयनीय दशा में रह रहे हैं, के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम

श्री भर्तृहरि महताब 142-144

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा

<u>शुक्रवार, 31 जुलाई, 2015 / 9 श्रावण, 1937 (शक)</u>

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (**मधेपुरा**) : अध्यक्ष महोदया, बिहार में एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे स्थगन प्रस्ताव की निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री एम. वीरप्पा मोइली, श्री के. सी. वेणुगोपाल, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, श्री मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में;

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी द्वारा तेलंगाना में उच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में;

श्री राजेश रंजन द्वारा बिहार में एक दलित लड़की पर यौन उत्पीड़न के संबंध में; और

श्री एम.बी. राजेश द्वारा देश में मृत्युदंड को समाप्त करने के संबंध में विषय उठा गया।

यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके लिए आगे की कार्यवाही में व्यवधान डालना उचित नहीं है। इन विषयों को अन्य माध्यमों से भी उठाया जा सकता है।

इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: मैं आप सबको बाद में अनुमति दूंगी, अभी नहीं।

... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्नकाल के बाद, मैं आपको अनुमति दूंगी।

... (*व्यवधान*)

<u>पूर्वाह्न 11.02 बजे</u>

इस समय श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, श्री श्री शंकर प्रसाद दत्ता और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं।

... (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.02 ½ बजे

[2]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष: अब, प्रश्नकाल। प्रश्न सं. 162, श्री पी. सी. मोहन।

... (*व्यवधान*)

(प्रश्न संख्या 162)

श्री पी.सी. मोहन: महोदया, उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार ने सेबी को कोई निदेश जारी नहीं किया है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार सेबी को कंपनियों के बोर्ड में महिला निदेशक रखने का निदेश कब जारी करेगी... (*व्यवधान*)

श्री जयंत सिन्हा: माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि हमने अपने वक्तव्य में कहा है, अब तक, 5,362 सूचीबद्ध कंपनियों में से 1,577 अभी अनुपालन में नहीं हैं। इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा रहा है, जो दिन-ब-दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है; और इसलिए, हम उम्मीद करते हैं कि वे बहुत जल्द एक महिला निदेशक की आवश्यकता का अनुपालन करने में सक्षम होंगी, जो लिस्टिंग समझौते के खंड 49 में सूचीबद्ध है। हर तिमाही हमें कंपनियों से रिपोर्ट प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं कि 1 अक्टूबर तक अनुपालन स्तर कहाँ तक पहुँचते हैं। यदि वे अपेक्षित मानकों पर खरे नहीं उतरते, तो उस स्थिति में उपयुक्त कार्रवाई पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।... (*व्यवधान*)

---

[2] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

श्री पी.सी. मोहन: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में महिला निदेशकों की नियुक्ति कब तक की जाएगी, क्योंकि अधिकांश सरकारी कंपनियों के बोर्ड में अब भी महिला निदेशकों की अनुपस्थिति बनी हुई है... (*व्यवधान*)

श्री जयंत सिन्हा: महोदया, माननीय सदस्य ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित प्रश्न उठाया है। जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रश्न है, हमारे देश में कुल 57 सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। इनमें से 24 उपक्रमों के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं है। सरकार इन कंपनियों के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में है। हमें आशा है कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में भी हम बहुत शीघ्र अनुपालन की स्थिति में होंगे।... (*व्यवधान*)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): माननीय अध्यक्ष महोदया, इस सभा में क्या हो रहा है? (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे इस बात का खेद है; आप माननीय मंत्री जी के उत्तर देते समय उनके सामने आकर खड़े नहीं हो सकते। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डॉ. मनोज राजोरिया: महोदया, मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने सरकारी कम्पनियों में महिला डायरेक्टर्स की नियुक्ति के लिए जो अभी आश्वासन दिया है, उसे वे कब तक पूरा करने जा रहे हैं? ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: क्या संसद असहाय है? क्या मात्र 40 माननीय सदस्य समस्त देश की ओर से अपनी बात थोप सकते हैं, सदन की गरिमापूर्ण कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, और उस माननीय प्रधान मंत्री का नाम अनुचित रूप से ले सकते हैं, जिन्हें आज सम्पूर्ण विश्व में अत्यंत सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त है?

(*व्यवधान*) वे जनता की प्रतिक्रिया को गंभीरता से समझें। यह हमारे लिए चिंताजनक विषय है, महोदय। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। (*व्यवधान*) उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वे नहीं चाहते कि मुद्दे पर चर्चा हो। वे जनता के मुद्दों और किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं।... (*व्यवधान*) वे बाढ़ पर चर्चा नहीं करना चाहते। वे उच्च न्यायालय जैसे मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते। वे अन्य मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते। वे राजनीति कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। सत्ता खोने के बाद भी वे अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाए हैं। महोदया, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। (*व्यवधान*) मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इसे गंभीरता से लें। कृपया इन्हें गंभीरता से लें। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : कविता जी, आप अपने स्थान पर जाइए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप यहां नहीं आ सकते। इसकी अनुमति नहीं है। आपको यहां आने की अनुमति नहीं है। कृपया अपने स्थानों पर जाएं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री गौरव गोगोई, आप यहां नहीं आ सकते।

... (*व्यवधान*)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: "जब सदन की बैठक चल रही हो, तब किसी सदस्य को पुस्तक पढ़ना मना है, अन्य सदस्यों के भाषण में विघ्न नहीं डालना चाहिए, अध्यक्षपीठ के समक्ष सम्मानपूर्वक झुकना चाहिए, सभा के बीचों बीच आना वर्जित है, किसी भी वस्तु का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अध्यक्ष के पास व्यक्तिगत रूप से

जाना उचित नहीं है, और सदन में किसी प्रकार के बैज प्रदर्शित करना निषिद्ध है।" ये सभी कार्य नियमों के विरुद्ध हैं।

माननीय अध्यक्ष: मुझे पता है।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: महोदया, आपको सदस्यों के नाम बताने होंगे।... (*व्यवधान*) कोई भी तरीका नहीं है। हम प्रतिदिन ऐसी बाधाओं को सहन नहीं कर सकते। यह देश की लोकतंत्र के साथ किया गया एक धोखा है।... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं बार-बार श्री गौरव गोगोई और आप सभी से अनुरोध कर रही हूं कि कोई भी तख्ती न दिखाएं। नहीं तो मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा। कृपया अपने स्थानों पर जाएं। कृपया तख्ती न दिखाएं। आप सभी, जिनके पास भी तख्ती हों, कृपया उन्हें नीचे रख दें। कृपया कोई तख्ती नहीं प्रदर्शित करें। मैं श्री गौरव गोगोई, सुष्मिता जी और आप सभी से अनुरोध कर रही हूं कि तख्ती न दिखाएं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं तो मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा। कृपया तख्ती नीचे रख दीजिए।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कविता जी, यह आपकी जगह नहीं है। इसकी अनुमति नहीं है। आप यहां आइए। यह कोई तरीका नहीं है। आप वहां नहीं जा सकती हैं। आप इस तरफ तो आ सकती हैं लेकिन उस तरफ नहीं जा सकतीं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मनोज राजोरिया जी, क्या आपने प्रश्न पूछ लिया है?

... (व्यवधान)

डॉ. मनोज राजोरिया: जी हां। मैं मंत्री जी से जवाब चाहूंगा। अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी कृपया यह बताने की कोशिश करें कि ...(व्यवधान)

श्री जयंत सिन्हा : पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेस के बोर्ड में महिलाओं का हम लोग चयन कर पाएंगे। ये सब जो पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेस हैं...(व्यवधान) 24 पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेस हैं जिन पर महिलाओं का अभी तक चयन नहीं किया गया है।...(व्यवधान) हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। क्वालीफाइड कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं। हम चाह रहे हैं कि इन बोर्ड्स में ऐसे-ऐसे लोगों को चुनें जिनका बोर्ड के साथ अच्छा तालमेल रहे और जो काफी दिनों तक बोर्ड्स में अपनी सर्विस दे सकते हैं।...(व्यवधान) हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। एक टाइम फ्रेम देना कठिन है परन्तु जल्द से जल्द सरकार इन लोगों का सलैक्शन कर लेगी।...(व्यवधान)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: महोदया, सरकारी कम्पनियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मैं इसके लिए मांग करता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स में डायरैक्टर के तौर पर प्रतिनिधित्व देगी?

श्री जयंत सिन्हा : जब हम लोग पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेस में डायरैक्टर चुनते हैं तो हमारी हरदम यह कोशिश होती है कि इस पर अच्छे तरीके से पूरा महत्व दें। इस कारण आज के समय में भी कई बोर्ड्स हैं जिनमें सब जातियों, वर्गों के लोग शामिल हैं। अगर माननीय सांसद इस पर थोड़ा गौर करेंगे तो देखेंगे कि आज के समय में पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेस में ऐसे कई डायरैक्टर्स हैं जो इन वर्गों से भी आए हुए हैं। हमारी हरदम यही कोशिश रहेगी कि जनता के प्रतिनिधियों को पूरी तरह रिप्रैजैंटेशन मिले।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं बार-बार आपसे अनुरोध कर रही हूं कि सभी तख्तियां नीचे रख दें। यह उचित नहीं है । यह नियमों के विरुद्ध है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह शोभा नहीं देता। ठीक है, हम टीवी पर भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। आप ही सोच लीजिए कि क्या करना है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया तख्तियां नीचे रखें।

... (*व्यवधान*)

(प्रश्न संख्या 163)

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: अध्यक्षा जी, मैंने पहले प्रश्न में यह पूछा था कि क्या सरकार का विचार दार्जिलिंग चाय अनुसंधान और विकास केन्द्र कुर्सेग का उन्नयन करने का है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ...(व्यवधान) इसमें ब्यौरा आया है लेकिन सरकार उस अनुसंधान में प्रति वर्ष कितनी धनराशि व्यय कर रही है, वहां कुल कितने पद खाली हैं, कब से खाली हैं और यदि नहीं भरे गए तो क्यों नहीं भरे गए और कब तक भरेंगे?...(व्यवधान) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी विदेशी मुद्रा मिलती है और उसे आगे बढ़ाने की दृष्टि से इस अनुसंधान केन्द्र के बारे में केन्द्र सरकार ने क्या योजना बनाई है? ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: माननीय अध्यक्ष महोदया, दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र का उन्नयन एक सतत एवं निरंतर प्रक्रिया है, जिसे 11$^{वीं}$ पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य इस केंद्र को उत्कृष्टता का केंद्र बनाना है, ताकि दार्जिलिंग चाय के लिए अनुसंधान और विकास कार्य प्रभावी रूप से किया जा सके। (*व्यवधान*) लगभग 120 मिलियन किलोग्राम परम्परागत चाय का उत्पादन होता है। (*व्यवधान*) हमारे देश में उत्पादित कुल 1,200 मिलियन किलोग्राम चाय में से 120 मिलियन किलोग्राम पारंपरिक किस्म की होती है।... (*व्यवधान*) इसमें से अकेले दार्जिलिंग चाय की हिस्सेदारी 9 लाख किलोग्राम है।

सरकार का खर्च बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। (*व्यवधान*) दरअसल, 2013-14 में 1.12 करोड़ रुपये खर्च हुए। बेशक, 2014-15 में उपयोग की दृष्टि से यह धनराशि घटकर 66 लाख रुपये रह गई। ... (*व्यवधान*) हालांकि, जो नमूने हम परीक्षण और गुणवत्ता साबित करने के लिए प्राप्त कर रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। (*व्यवधान*) हमारा इरादा यह सुनिश्चित करना है कि यह केंद्र उत्कृष्टता केंद्र बने।

जहां तक इन केंद्रों में रोजगार या भर्ती से संबंधित किसी भी प्रश्न का संबंध है, मैं सदस्य को आश्वस्त कर सकती हूं कि भर्ती में कोई कमी नहीं होगी। (*व्यवधान*) गुणवत्ता नियंत्रण के अनुपालन हेतु खाद्य सुरक्षा एवं अन्य

मापदंडों के मानकीकरण का भी इस केन्द्र के माध्यम से ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए, कर्मियों की संख्या और खर्च किए जा रहे संसाधनों दोनों के मामले में बिल्कुल कोई कमी नहीं हुई है। (*व्यवधान*) मैं सभा को इसका आश्वासन दे सकती हूं। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: अध्यक्ष जी, एक कमेटी वहां के प्रवास पर गई थी, उस अनुसंधान केन्द्र का भी हम लोगों ने निरीक्षण किया था। उस अनुसंधान केन्द्र पर जो पैसा व्यय हो रहा है, वह चाय उत्पादककर्ता कर रहे हैं, भारत सरकार व्यय नहीं कर रही है। 10 वैज्ञानिकों के स्थान पर केवल एक वैज्ञानिक ही काम कर रहा है और वर्षों से पद रिक्त है। जितना उत्कृष्ट शोध होना चाहिए था उसमें व्यवधान हो रहा है। क्या सरकार को मालूम है कि अंग्रेजों के जमाने के वहां दर्जनों बागान हैं, उन बगानों को सरकार कब आबाद करेगी। इस व्यवसाय से लाखों श्रमिक जुड़े हुए हैं, इसमें स्थायी और अस्थायी कितने लोग हैं और उनके कल्याण की क्या व्यवस्था है?

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में चाय बोर्ड की कुल धनराशि में से लगभग 80 प्रतिशत धनराशि चाय अनुसंधान संस्थानों, उनकी जनशक्ति तथा अनुसंधान गतिविधियों के लिए दी जाती है। (*व्यवधान*) इस संबंध में, मैं कहना चाहूंगी कि अनुसंधान और विकास के लिए कुल आबंटन वर्ष 2014-2015 में 17 करोड़ रुपये था; वर्ष 2013-2014 में यह 21 करोड़ रुपये था; और वर्ष 2015-2016 में भी यह 21 करोड़ रुपये ही रहेगा।… (*व्यवधान*) इसमें किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई है। (*व्यवधान*) उत्तराखंड से संबंधित माननीय सदस्य के विशेष प्रश्न के संदर्भ में मैं यह कहना चाहती हूं कि चाय बोर्ड टी रिसर्च एसोसिएशन तथा यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया की टी रिसर्च फाउंडेशन जैसे संस्थानों के माध्यम से सहयोग करता

है। इन अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से, साथ ही बोर्ड की अपनी पहल के ज़रिए, उत्तराखंड जैसे पारंपरिक चाय उत्पादक क्षेत्रों को आवश्यक तकनीकी सहायता एवं अनुसंधान सहयोग प्रदान किया जाता है।...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको पुनः आगाह कर रही हूं कि यदि आप इसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न करते रहेंगे तो भी आज सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं की जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहें तो अपना विरोध दर्ज कराते रहिए।**...** (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे इस बात का खेद है, लेकिन मैं सभा स्थगित नहीं करूँगी।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आपको आज तख्तियां नीचे रखनी होंगी। मैं सभा स्थगित नहीं करूँगी।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अगर आप ये सब दिखाना चाहते हैं तो पूरे देश को दिखाइए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: पूरे देश को यह देखने दीजिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आज मैं सभा स्थगित नहीं करूंगी। मुझे इस बात का खेद है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आपको जो करना है करते रहिए।

... (*व्यवधान*)

श्री के. परशुरामन: माननीय अध्यक्ष महोदया, वैश्विक बाजार में ऑर्गेनिक चाय की मांग निरंतर बढ़ रही है, किंतु इसके निर्यात में सबसे बड़ी बाधा कीटनाशकों के अवशेष हैं। विशेष रूप से चिंता का विषय यह है कि अधिकांश ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन छोटे किसानों द्वारा किया जाता है, जो कीटनाशकों के सही उपयोग और इसके प्रभावों के प्रति पर्याप्त रूप से जागरूक नहीं हैं। …(*व्यवधान*)

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं।… (*व्यवधान*) कीटनाशकों के बारे में उत्पादकों को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ... (*व्यवधान*) चाय में कीटनाशक अवशेषों के स्तर में पूर्ण कमी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, ताकि भारतीय चाय की किस्मों को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परीक्षणों में योग्य बनाया जा सके और निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके? ... (*व्यवधान*) बहुत-बहुत धन्यवाद महोदया। (*व्यवधान*)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि कि चाय में कीटनाशकों के अवशेष न पाए जाएँ, यह सुनिश्चित करने के लिए चाय बोर्ड द्वारा हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं चाहे वह उत्पादित चाय की गुणवत्ता के मानकों से संबंधित हों या उन कीटनाशकों की सूची तय करने से संबंधित हों जिनका उपयोग प्रतिबंधित है। सभी कृषकों को जागरूक और प्रशिक्षित किया जा रहा है — चाहे वे असम के वे क्षेत्र हों जहाँ लघु चाय उत्पादकों का योगदान बड़े उत्पादकों से अधिक है, अथवा दक्षिण भारत के वे क्षेत्र जहाँ पारंपरिक चाय उत्पादन से हटकर जैविक खेती की दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। चाय में कीटनाशक अवशेष के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करते हुए चाय बोर्ड यह सुनिश्चित कर रहा है कि इन अवशेषों को यथाशीघ्र न्यूनतम स्तर पर लाया जाए। चाय बोर्ड द्वारा असम के छोटे चाय उत्पादकों और दक्षिण भारत के पारंपरिक खेती से ऑर्गेनिक खेती की ओर अग्रसर किसानों के लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि माननीय सदस्य इस दिशा में कोई विशेष सुझाव देना चाहें, तो हम उनके साथ मिलकर इस कार्य को और अधिक प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दार्जिलिंग चाय दुनिया की रेट खोलती है। ...(व्यवधान) जो अनुसंधान है, उसकी स्थिति के बारे में अभी निशंक जी ने बताया है। ...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं। ...(व्यवधान) टी-बोर्ड का जो कामकाज है, उससे राज्य सरकारों का कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। ...(व्यवधान) जहां तक अनुसंधान का सवाल है, उसके लिए पैसा न तो केन्द्र सरकार दे रही है और न ही टी-बोर्ड दे रहा है, बल्कि जो चाय बागान उत्पादक हैं, वे दे रहे हैं। ...(व्यवधान) लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने दस साल पहले एक सर्कुलर निकाला कि आप किसी कीमत पर चाय के नये बागान नहीं लगा सकते। ...(व्यवधान) छोटा किसान, जिसे अनुमति नहीं है, वह चाय उगा रहा है, लेकिन उसकी चाय को बिकने का मौका नहीं मिलता। ...(व्यवधान) अगर वह जैविक तरीके से चाय पैदा करना चाहता है, तो उसे बाकी सुविधाएं नहीं मिलतीं, जबकि सबसे बड़ी संख्या छोटे किसान उत्पादकों की ही है। ...(व्यवधान) इससे अनुसंधान प्रभावित है। जो छोटा किसान वहां चाय पैदा करना चाहता है, उसे उसकी परमिशन नहीं है। ...(व्यवधान) मुझे लगता है कि जब तक टी-बोर्ड और राज्य सरकार का कोआर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक यह व्यवसाय कभी फल-फूल नहीं सकता। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या छोटे किसान को परमिट मिलेगा? ...(व्यवधान) अगर पश्चिम बंगाल सरकार ने दस साल पहले कोई गलती कर दी, तो क्या उसे सुधारने में सरकार शीघ्रता करेगी? ...(व्यवधान)

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि अनुसंधान की जो प्रयोगशालाएं हैं, क्या टी-बोर्ड या भारत सरकार उन्हें सुविधा मुहैया कराकर उस कमी को पूरा करने का काम करेगी? ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदया, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगी कि चाय अनुसंधान गतिविधियां निश्चित रूप से चाय बोर्ड के अधीन हैं, जो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। यह राज्य प्राधिकारियों के पास नहीं है।

पश्चिम बंगाल में स्थित चाय बागानों से संबंधित मामलों के संदर्भ में वाणिज्य मंत्रालय और चाय बोर्ड राज्य सरकार के साथ मिलकर समन्वय में कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से जो बागान बंद हो चुके हैं, उनके लिए नए खरीदारों की तलाश और अन्य संभावनाओं को लेकर संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश के संदर्भ में माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए गैर-पारंपरिक क्षेत्रों से संबंधित विषय को लेकर मैं यह अवश्य कहूंगी कि संभवतः मैं उनकी बात को पूर्णतः स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाई हूँ। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदया, मैं यह कह रहा था कि पश्चिम बंगाल में जमीन है ...(व्यवधान) अगर छोटे चाय उत्पादक चाय पैदा कर रहे हैं, तो उन्हें उसके लिए परमिशन नहीं मिल रही है। ...(व्यवधान) उन्हें न तो सब्सिडी मिलती है और न ही उन्हें अनुसंधान का लाभ मिलता है। ...(व्यवधान) एक मामूली सा सर्कुलर पश्चिम बंगाल सरकार का है। ...(व्यवधान) मुझे लगता है कि इस बारे में कोई नियम आड़े नहीं आ रहा। ...(व्यवधान) सिर्फ समन्वय की कमी है। ...(व्यवधान) लैप्स ऑफ कोआर्डिनशन है, ऐसा मेरा मानना है। ...(व्यवधान) क्या इसे दूर करने का काम भारत सरकार करेगी? ...(व्यवधान) राज्य सरकार को कोई आधिकार नहीं है कि वह ऐसा सर्कुलर निकाले। ...(व्यवधान) इससे लाखों किसान और मजदूर प्रभावित हैं। ...(व्यवधान) यह सिर्फ समन्वय की कमी है। ...(व्यवधान) क्या भारत सरकार उस काम को करेगी? ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: बिल्कुल नहीं, महोदया। मैंने स्वयं पश्चिम बंगाल का दौरा किया है। मैं खुद चाय बागानों में गई हूं। जहां तक पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर काम करने का सवाल है, यदि प्रश्न पश्चिम बंगाल से संबंधित है, तो मैं वहां की राज्य सरकार के साथ निकट संपर्क में हूं और यह भी सुनिश्चित करना चाहती हूं कि बेहतर सुविधाएं और चाय बोर्ड का ध्यान पश्चिम बंगाल सरकार तक पहुंचे। राज्य सरकार ने चाय बागानों के लिए भूमि के रूपांतरण की अनुमति नहीं दी है। इस विषय को हमने राज्य सरकार के समक्ष गंभीरता से उठाया है। हालांकि, जहाँ तक छोटे चाय उत्पादकों तक सब्सिडी न पहुँचने का प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि

माननीय सदस्य के पास इस संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध है। मैंने स्वयं इस प्रक्रिया की समीक्षा की है। जो सब्सिडी उन तक पहुंचनी चाहिए वह उन तक जरूर पहुंच रही है। यदि छोटी-मोटी विसंगतियाँ है जिसके बारे में माननीय सदस्य मुझे सूचित करना चाहते हैं, मैं उनके विचार प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया, मैं बार-बार आपसे अनुरोध कर रही हूं। [हिंदी] मुझे आप पर एक्शन लेने के लिए मजबूर मत करो। ये सभी प्लैकार्ड्स नीचे रखिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रेम दास राई: महोदया, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि क्या मैं इसी स्थान से प्रश्न पूछ सकता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और दिए गए उत्तरों को सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सिक्किम के चाय बागानों, जो विश्व की उत्कृष्टतम चाय में से एक का उत्पादन करते हैं, को वह यथोचित महत्व और ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, जिसके वे वास्तविक रूप से अधिकारी हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है कि वे पश्चिम बंगाल के चाय बागानों का दौरा कर चुकी हैं — क्या उन्होंने सिक्किम के चाय बागानों और वहाँ के उत्पादकों से भी भेंट की है? क्योंकि सिक्किम भी विश्व की सर्वोत्तम चायों में से एक का उत्पादन करता है। मुझे लगता है कि चाय अनुसंधान का लाभ वास्तव में हमारे राज्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। यह एक ऐसा विषय है जिसे इस सदन का ध्यान आकर्षित कराना आवश्यक है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहती हूं कि मैंने निश्चित रूप से सिक्किम और चाय बागानों का दौरा नहीं किया है। हालांकि, सिक्किम में उत्पादित चाय की गुणवत्ता के बारे में हमारे पास निश्चित रूप से बहुत सारी जानकारी है। हम सिक्किम में चल रहे अच्छे काम की सराहना करते हैं। वास्तव में, इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगी कि प्रधान मंत्री ने स्वयं कई बार हमें सिक्किम में ऑर्गेनिक चाय की गुणवत्ता और इसकी क्षमता के बारे में जानकारी दी है। बोर्ड पहले से ही सिक्किम चाय के

लिए विशेषकर ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक विशेष पैकेज तैयार कर रहा है। मैं निश्चित रूप से सिक्किम और चाय बागानों का दौरा करूंगी। हम यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि सिक्किम चाय, विशेष रूप से ऑर्गेनिक चाय को अंतरराष्ट्रीय बाजार मिले। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप कुछ लोग 300 से ज्यादा लोगों का अधिकार मार रहे हैं। यहां 300 से ज्यादा मैम्बर्स प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं आपसे बार-बार अनुरोध कर रही हूँ।

... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 164 श्री संजय धोत्रे। वे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मुझे सूचित किया है कि वे नहीं आ रहे हैं।

डॉ. ए. संपत- उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं।

(प्रश्न संख्या 164)

श्री रवीन्द्र कुमार जेना: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। निर्भया की वह घटना, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, आज भी हम सभी की स्मृति में है। इस घटना के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया था कि एक विशेष प्रकार के "निर्भया कोष" के रूप में धनराशि का आबंटन किया जाएगा। लेकिन तथ्य यह है कि आज तक पूरे देश में इस कोष का दो प्रतिशत से भी कम खर्च किया गया है। इस कोष का प्रबंधन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाना था। ऐसी खबरें हैं कि यह मामला अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास पहुंच गया है। अब प्रत्येक जिले में एक निर्भया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, पूरे देश में लगभग 650 केंद्र स्थापित किए जाने थे। लेकिन हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार यह केंद्र प्रत्येक जिले में स्थापित नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रत्येक राज्य में एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। मेरा प्रश्न यह है कि जब इस निधि का बमुश्किल दो प्रतिशत ही अब तक खर्च किया गया है, तो प्रत्येक जिले में एक केंद्र न खोलने के निर्णय का औचित्य क्या है? इस संदर्भ में क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बालासोर जिले सहित प्रत्येक जिले में एक केंद्र स्थापित करेगी?

श्रीमती मेनका संजय गांधी: माननीय अध्यक्ष महोदया, पहला केंद्र रायपुर में पहले ही स्थापित किया जा चुका है। संयोगवश मैं अभी वहां से लौटी हूं। हम इस वर्ष के अंत तक 36 केंद्र स्थापित कर रहे हैं। मैंने जानबूझकर एक साथ 660 केंद्र शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि हम पहले देखना चाहते हैं कि ये केंद्र किस प्रकार कार्य करते हैं। प्रत्येक केंद्र के लिए गहन कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए, इस वर्ष के अंत तक हम 36 केंद्र स्थापित करेंगे और उनकी प्रगति तथा उनकी सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करेंगे। इन केंद्रों को "सखी केंद्र" कहा जाता है। यदि वे अच्छी तरह काम करेंगे तो तीन महीने के भीतर हम शेष 660 को भी स्थापित करना शुरू कर देंगे। मैं सहमत हूं कि प्रत्येक जिले के लिए एक केंद्र, अर्थात कुल 660 केंद्रों की आवश्यकता है। आशा

है कि मेरे कार्यकाल के दौरान ये सभी केंद्र स्थापित हो सकेंगे। फिलहाल हम प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक-एक केंद्र के साथ शुरुआत कर रहे हैं, इस प्रकार पहले चरण में कुल 36 केंद्र शुरू किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय जैसे उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार होने के केसेज बहुत ज्यादा बढ़े हैं।...(व्यवधान) अभी अभी एक घटना घटी। इधर एक वर्ष पूर्व एक महिला के साथ बलात्कार हुआ था जिसमें बलात्कारियों को वहां के सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों का संरक्षण प्राप्त था।...(व्यवधान) उस महिला पर दबाव डाला जा रहा था कि वह अपना बयान बदल दे लेकिन उसने बयान नहीं बदला और उस पर इतना दबाव डाला गया कि उसको जलाकर मार डाला गया। ऐसे ही हमीरपुर में अभी एक छात्रा के साथ छेड़खानी की गई और उस पर जब रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो उसने आत्महत्या कर ली जिस पर अभी भी जन आंदोलन हो रहा है।...(व्यवधान)

मैडम, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अगर उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है बल्कि उनको संरक्षण देने का काम कर रही है तो यहां पर केन्द्र सरकार द्वारा, माननीय मंत्री जी द्वारा महिलाओं के आधिकारों के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका संजय गांधी: महोदया, मेरे लिए इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है क्योंकि यह वास्तव में गृह मंत्रालय से संबंधित है। हालांकि, इसका एक उत्तर यह है कि 33 प्रतिशत महिलाओं को पुलिस बल में रखा जाए। मैंने पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बार-बार लिखा है। हमारी सरकार ईमानदारी से प्रयास कर रही है। गृह मंत्री और प्रधान मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेशों में 33 प्रतिशत निवेश किया है और यह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। यह पूरी पुलिस व्यवस्था को संवेदनशील बनाता है और महिलाओं की सुरक्षा के तत्व को सशक्त करता है। गुजरात में भी 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है और वहाँ यह व्यवस्था सफलतापूर्वक चल रही है। यह सबसे उत्तम समाधान होगा

— एक तो पुलिस बल में 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, और दूसरा, प्रत्येक जिले में 'सखी केंद्र' स्थापित किए जाएं। धीरे-धीरे यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो सकेगी।

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

देश में महिला आधिकारों के संरक्षण के लिए काफी कानून बने हैं। समय समय पर उनमें संशोधन भी होते रहते हैं। ...(व्यवधान) घरेलू हिंसा से महिलाओं के आधिकारों के संरक्षण आधिनियम 2005 है, दहेज आधिनियम 1961 है, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न आधिनियम 2013 है। लेकिन व्यावहारिक रूप में देखने में आता है कि दहेज से प्रताड़ित होकर महिलाओं को जला देने की घटनाएं हमारे समाज में आए-दिन घटती रहती हैं। विधवा हो जाने पर जो महिला कल तक घर की मालकिन रहती है, विधवा हो जाने पर उसी के परिवार के लोग उसके साथ मारपीट करके उसको घर से निकाल देते हैं। ऐसे ही कामकाजी महिलाओं को भी अपने काम के स्थानों पर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ...(व्यवधान) उसका मूल कारण यह होता है कि जिन आधिकारियों और कर्मचारियों की यह जिम्मेदारी होती है कि महिलाओं को संरक्षण देकर उनको उनके आधिकार दिलाए जाएं, उनके अंदर जितनी संवेदनशीलता होनी चाहिए, उतनी संवेदनशीलता उनमें नहीं होती। मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में जानना चाहता हूं कि क्या संबंधित विभागों के आधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों के अंदर संवेदनशीलता जगाने के लिए महिलाओं के साथ सहयोग नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कोई विचार बनाएंगे?

इसके साथ ही साथ मैं इस विषय की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि निरन्तर बच्चों के लापता होने की घटनाएं घटती रहती हैं और अनाथ बच्चों के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर पाए जाने की घटनाएं भी लगातार घटती रहती हैं।...(व्यवधान) अब बच्चों के संरक्षण के लिए बाल कल्याण समितियां बनाई गई हैं और अनाथालय बनाये गये हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आधिकार आयोग भी बनाया गया लेकिन यहां पर

भी बच्चों को जो संरक्षण मिलना चाहिए, वह संरक्षण संवेदनशीलता के अभाव में उनको नहीं मिलता और वे बच्चे परेशान होते रहते हैं।...(व्यवधान) इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या दोनों ही विभागों के यानी महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित विभागों में आधिकारियों और कर्मचारियों में संवेदनशीलता जगाने के लिए क्या कोई प्रयास किये जाएंगे और इसमें लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए जाएंगे?

श्रीमती मेनका संजय गांधी: महोदया, महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं और [अनुवाद] समय-समय पर उन्हें मजबूत बनाने के लिए उनमें बदलाव किए जाते हैं। … (*व्यवधान*) पुलिस बल को अधिक संवेदनशील एवं प्रभावी बनाने हेतु, 33 प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति सुनिश्चित करना एक उपयुक्त एवं सार्थक उपाय हो सकता है। … (*व्यवधान*) दूसरी बात, हम दो अहम काम कर रहे हैं। पहला यह कि रेलवे में एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें स्टेशनों पर तैनात सभी अधिकारियों को संवेदनशील बनाने की दिशा में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे यात्रियों के प्रति अधिक समझदारी और सहयोगपूर्ण रवैया अपना सकें। इस अगस्त माह से प्रत्येक रेल डिब्बे में ऐसे पोस्टर लगाए जाएंगे जिनमें उन हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी जाएगी, जिन पर रेल परिसर में कोई बच्चा संदिग्ध अवस्था में दिखाई दे या अपहृत प्रतीत हो, तो तुरंत सूचना दी जा सके।… (*व्यवधान*) हमने 20 मुख्य रेलवे स्टेशनों को चुना है जहां सबसे अधिक संख्या में बच्चे पाए गए और सभी को जागरूक किया जा रहा है। हमने लगभग 200 रेलवे स्टेशनों पर कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को नियुक्त किया है। ... (*व्यवधान*) हमारी एक संस्था चाइल्ड लाइन है। चाइल्ड लाइन अब 300 से अधिक जगहों में काम कर रही है। … (*व्यवधान*) यदि सड़क पर कोई बच्चा शोषित स्थिति में पाया जाए, या वह खो गया हो अथवा घर से भाग आया हो, तो ऐसे मामलों की सूचना देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1098 उपलब्ध है। इस नंबर पर जानकारी देने से ऐसे बच्चों को तुरंत सुरक्षा में लिया जा सकता है। … (*व्यवधान*) 2015 के अंत तक, हम इस देश में चाइल्ड लाइन को 500 क्षेत्रों तक बढ़ाने का प्रयास

कर रहे हैं, जो उम्मीद है कि अधिकांश जिलों को शामिल कर लेगा। इसलिए हम ऐसे गैर-सरकारी संगठनों की तलाश कर रहे हैं जो हमारे साथ साझेदारी कर सकें। ... (*व्यवधान*)

हमने एक नई चीज़ *खोया पाया* भी शुरू की है जो एक अद्भुत नया विचार है। ... (*व्यवधान*) यदि आपका बच्चा खो गया है, तो आप बच्चे की फोटो और विवरण साइट पर अपलोड कर सकते हैं और यदि किसी ने बच्चे को कहीं देखा है, तो वे भी साइट पर विवरण डाल सकते हैं। ... (*व्यवधान*) अब तक, इस पोर्टल के माध्यम से, केवल पिछले दो महीनों में हम 250 से अधिक बच्चों को पुनः प्राप्त कर चुके हैं, जबकि पिछले पचास वर्षों में ऐसी कोई भी सफलता नहीं मिल सकी थी। ... (*व्यवधान*) यह वास्तव में जन-सहभागिता के साथ कार्य कर रहा है। कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और आशा है कि विशेष रूप से बच्चों के क्षेत्र में हम और बेहतर कर सकेंगे।... (*व्यवधान*)

श्री पी.आर. सुन्दरम: माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध चिंता का विषय हैं। ... (*व्यवधान*) इसलिए, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों और हिंसा में वृद्धि को रोकने के लिए गंभीर कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है। ... (*व्यवधान*) इस स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए, हमारी माननीय मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा जी मुख्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के सभी हिस्सों में क्रैडल बेबी योजना और महिला पुलिस स्टेशन जैसी विभिन्न योजनाएं लागू कर रही हैं। ... (*व्यवधान*) माननीय मंत्री जी के उत्तर से पता चलता है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने में तमिलनाडु देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। ... (*व्यवधान*) इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को सभी राज्यों में, विशेषकर महानगरों में, महिला पुलिस की एक अलग शाखा बनाने का निर्देश दिया है? (*व्यवधान*)

श्रीमती मेनका संजय गांधी: मैं सहमत हूं कि तमिलनाडु महिलाओं की सुरक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और मैं राज्य सरकार को बधाई देती हूं। ... (*व्यवधान*) राज्य सरकारों से पुलिस में महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान करने के लिए कहने का कोई प्रावधान नहीं है। ... (*व्यवधान*) वास्तव में, मुझे लगता है कि इसे

एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं के साथ काम करते समय पुरुष बेहतर तरीके संवेदनशील हो सकें।

माननीय अध्यक्षा: प्रश्न संख्या 165 श्री एम. मुरली मोहन - उपस्थित नहीं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर - आप पूछना चाहते हैं या नहीं? ठीक है।

... (*व्यवधान*)

(प्रश्न संख्या 165)

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे: धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। ...(व्यवधान) मंत्री महोदय का जो जवाब है और देश में जो मैसेज जाता है कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स बहुत ज्यादा क्रैश होते हैं। बार वावव्स एसोसिएशन, डिफेंस पर्सनेल एसोसिएशन इसके बारे में हंगामा करते रहते हैं।...(व्यवधान) बार-बार आने वाली सीएंडएजी की रिपोर्ट यह कहती है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है और जो एचएएल एवं डीआरडीओ के साथ मिलकर करना चाहती हैं, चाहे ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाने का सवाल हो, चाहे हेलीकॉप्टर बनाने का सवाल हो, चाहे फोर्थ जेनरेशन, फिफ्थ जेनरेशन या सिक्स्थ जेनरेशन एयरक्राफ्टस बनाने का सवाल हो, वे सभी प्रोजेक्ट बेचने में, खरीदने में या ऑफसेट में लम्बित रहते हैं। ...(व्यवधान) आप यह समझिए कि वर्ष 2002-2003 के प्रोजेक्ट्स को भारत सरकार आज तक पूरा नहीं कर पाई है। इस डिले के पीछ जो रीजन्स होते हैं, उनके लिए आधिकारियों को कितना पनिशमेंट मिलता है? ...(व्यवधान) कब तक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए और जेनरेशन फोर, फिफ्थ जेनरेशन एवं सिक्स्थ जेनरेशन एयरक्राफ्ट्स के लिए यह डिफेंस मिनिस्ट्री तैयार हो जाएगी? मैं आपके माध्यम से यह डिफेंस मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप स्थान बदल सकते हैं। आप चाहें तो पिछली पंक्ति में भी जा सकते हैं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मनोहर पर्रिकर: स्पीकर मैडम, जो सवाल पूछा गया है, उसके पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि एक्सीडेंट का जो डेटा है, वह डेटा पिछले पांच दशकों में कम से कम होता जा रहा है। [अनुवाद] वर्ष 1970 से 1980 के दशक में औसतन प्रति वर्ष 29 दुर्घटनाएं हुईं; 1980 से 1990 के बीच यह संख्या 31 रही; 1990 से 2000

तक प्रति वर्ष औसतन 26 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं; और 2000 से 2010 के दशक में यह घटकर 17 प्रति वर्ष रह गई। (*व्यवधान*) पिछले पांच वर्षों में इनकी संख्या घटकर प्रति वर्ष नौ रह गई है। हम अभी भी कम आंकड़े का लक्ष्य रख रहे हैं। ... (*व्यवधान*) इसलिए दुर्घटनाओं में कमी आ रही है।

जहाँ तक उनके अन्य प्रश्न का संबंध है, मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार नए और बेहतर गुणवत्ता वाले विमानों के विकास पर कार्य कर रही है। लेकिन जो विमान वर्तमान में उड़ान भर रहे हैं, वे केवल तभी उड़ते हैं जब वे उड़ान के लिए पूरी तरह उपयुक्त होते हैं, अतः इस विषय में किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ... (*व्यवधान*)

हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की औसत वार्षिक संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है — यह पांच से घटकर 1.4 रह गई है। यह तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सरकार द्वारा हवाई बेड़े के रखरखाव एवं संचालन में पर्याप्त सतर्कता बरती जा रही है। … (*व्यवधान*) हम आगे भी दुर्घटनाओं को कम करने का प्रयास करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। **...** (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी: कल पूरा देश शोक में डूबा हुआ था और एक मुख्यमंत्री महिलाओं के साथ डांस कर रहे थे। क्या यही नैतिकता है?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (*व्यवधान*)..[3*]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[3□] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

... (*व्यवधान*)... *

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 166

श्री भीमराव बी. पाटिल - उपस्थित नहीं।

श्री विष्णु दयाल राम

... (*व्यवधान*)

(प्रश्न संख्या 166)

[हिन्दी]

श्री विष्णु दयाल राम: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने के लिए नए दिशानिर्देश या मापदण्ड प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो वह कब तक होगा? इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि डाक्टर रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट और हाल ही में आए सोशियो-इकोनोमिक सर्वे में झारखण्ड की स्थिति बहुत ही दयनीय दर्शाई गयी है। ऐसी परिस्थिति में झारखण्ड को स्पेशल राज्य का दर्जा प्रदान करने या स्पेशल इकोनोमिक पैकेज देने के बारे में क्या सरकार विचार कर रही है?

राव इंद्रजीत सिंह : मैडम, पिछले साल के दौरान कई प्रांतों ने स्पेशल केटेगरी स्टेटस की मांग रखी है। सन् 2015-2016 के अंदर स्पेशल पैकेज के बारे में बिहार और ओडिशा ने मांग रखी है। पोजिशन यह है कि मौजूदा साल के दौरान स्पेशल केटेगरी स्टेटस के विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जो 14वां वित्त आयोग था, उसकी जो सिफारिशें थीं, वे मौजूदा सरकार ने कुल मिलाकर मान ली हैं। जिसके तहत पहले जो सेंट्रल डिवीसिबल पूल का पैसा हुआ करता था टैक्स का, वह 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत कर दिया गया है। आज की स्थिति में किसी नए प्रांत को नया स्पेशल केटेगरी स्टेटस देने का विचार नहीं है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी: महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।... ... (*व्यवधान*) जैसा कि हम सभी जानते हैं, नीति आयोग बिना किसी स्पष्ट कारण के 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला आराम से कर रहा है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं और अनुदानों को रद्द करने से सरकार को ओडिशा को 8,300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जो ओडिशा जैसे राज्य के लिए बहुत बड़ी धनराशि है। यह पूछने के अलावा कि हमें विशेष श्रेणी राज्य के रूप में विचार किया जाए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि यदि हमें 8,300 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और हमें इस 10 प्रतिशत की वृद्धि के माध्यम

से 5000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो इसमें 3,300 करोड़ रुपए की कमी है। महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक विशिष्ट उत्तर चाहूंगा। क्या सरकार ओडिशा राज्य को हुए 3,300 करोड़ रुपये के इस घाटे की भरपाई करेगी? (*व्यवधान*)

राव इन्द्रजीत सिंह: महोदया, प्रत्यक्ष करों में 42 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होने के बाद राज्यों को कुल मिलाकर अधिक धनराशि प्राप्त हुई है। नई व्यवस्था के अनुसार, यदि राज्य कहते हैं कि उन्हें नुकसान हुआ है, तो उसे प्रतिपूर्ति देने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। हम, सरकार के रूप में, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है और उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। यदि किसी राज्य को कोई विशिष्ट समस्या हो, तो वह हमें अवगत करा सकता है और हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन जहां तक सरकार का संबंध है, आज हम राज्यों को 42 प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं, जो कि पहले 32 प्रतिशत था, और स्थिति यहीं तक सीमित है।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन: अध्यक्ष महोदया, बिहार में 5 करोड़ 86 लाख लोग भूमिहीन हैं और 78.8 प्रतिशत लोग पांच रुपए से कम में रोजाना जीवनयापन करते हैं। नरेन्द्र मोदी जी जब बिहार आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देंगे। बिहार की स्थिति आर्थिक और सामाजिक रूप से हिन्दुस्तान में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड से भी दयनीय है। बिहार सबसे गरीब प्रांत है और वहां सबसे ज्यादा भूमिहीन हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी जो बात कहते हैं, क्या आपके मंत्रालय ने उसे सुना नहीं, क्योंकि उन्होंने जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही, उस पर आपका मंत्रालय क्या विचार कर रहा है? क्या आपका मंत्रालय बिहार को विशेष दर्जा देगा? इसी सदन में क्या मंत्री जी घोषणा करेंगे कि बिहार को कोई स्पेशल पैकेज दिया जाएगा? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने जो बात कही, उस पर आपका मंत्रालय क्यों नहीं ध्यान देता है?

राव इंद्रजीत सिंह : महोदया, जैसा कि मैंने बताया है कि बिहार और ओडिशा दो प्रांत ऐसे हैं,...(व्यवधान) जिन्होंने स्पेशल पैकेज मांगा है...(व्यवधान) हम स्पेशल केटेगिरी नहीं दे सकते हैं...(व्यवधान) लेकिन स्पेशल सेन्ट्रल आसिस्टेंस देने की बात आज के दिन विचाराधीन है...(व्यवधान) और उस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है...(व्यवधान) इनके अलावा और भी प्रांत ऐसे हैं, जिन्होंने स्पेशल पैकेज मांगा है, जिस पर अभी पूरे तौर पर निर्णय नहीं हो पाया है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं बार-बार आप सभी से अनुरोध कर रही हूं कि [हिन्दी] यहां तीन सौ से ज्यादा सदस्य ऐसे हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। उनमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के हैं। आप उनका अधिकार मार रहे हैं।

…(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपसे बार-बार अनुरोध कर रही हूं कि अपने-अपने प्लेकार्ड्स नीचे रख दीजिए और अपनी जगह पर जाइए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी. एलुमलाई: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने तमिलनाडु के पिछड़े, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों कालरायन मलाई और जव्वादु मलाई के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज देने का निर्णय लिया है? (*व्यवधान*)

राव इंद्रजीत सिंह: महोदया, जैसा कि मैंने कहा, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि और पहाड़ी क्षेत्र विकास निधि जो पहले दी जाती थी, अब लागू नहीं है... (*व्यवधान*) करों का जो हिस्सा पहले दिया जाता था, उसे 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है... (*व्यवधान*)

मैं बिहार और ओडिशा के सदस्यों को भी जवाब देना चाहूंगा जिन्होंने पहले यही प्रश्न उठाया था। वर्ष 2014-15 के तहत ओडिशा को 29250 करोड़ रुपये मिले... (*व्यवधान*) वर्ष 2015-16 की व्यवस्था के अंतर्गत 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक 10 प्रतिशत की वृद्धि के बाद उनका आबंटन बढ़कर 34,703 करोड़ रुपये हो गया है, जो लगभग 5000 करोड़ रुपये की वृद्धि है। (*व्यवधान*) इसी प्रकार, बिहार को पहले की व्यवस्था के तहत 56,781 करोड़ रुपये मिलते थे, अब नई व्यवस्था के तहत उसे 66210 करोड़ रुपये मिलने जा रहे हैं... (*व्यवधान*)

वस्तुतः, जहां तक हम जानते हैं, नई व्यवस्था लागू होने के बाद लगभग सभी राज्यों को पहले की तुलना में अधिक धनराशि प्राप्त हुई है।

[हिन्दी]

श्री सी.आर.चौधरी: अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी को अपने प्रदेश की स्थिति के बारे में अवगत कराना चाहूंगा कि राजस्थान का 2/3 एरिया एरिड और सेमी-एरिड जोन है...(व्यवधान) डेज़र्ट जोन है, जहां 15 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है...(व्यवधान) यहां बहुत ही हाडरशिप है। हमारे राज्य की लोंग डिमाण्ड है कि इसको विशेष दर्जा दिया जाए...(व्यवधान) मुझे आपने इस प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानने का अवसर दिया है...(व्यवधान) और मैं माननीय मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान) कि राजस्थान की डेज़र्ट और सेमी-डेज़र्ट कंडीशन को देखते हुए राजस्थान को विशेष स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए...(व्यवधान) और विशेष इकोनॉमिक पैकेज दिया जाए ताकि वहां के लोगों को राहत और रोजगार मिल सके...(व्यवधान) यही मेरा आपके माध्यम से प्रश्न और अनुरोध है...(व्यवधान)

राव इंद्रजीत सिंह : महोदया, विशेष राज्य देने की नीति अब नहीं है...(व्यवधान) विशेष पैकेज देने की जहां तक बात है...(व्यवधान) तो राजस्थान सरकार अगर हमें लिखती है तो इस बारे में सोचा जा सकता है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं आपसे पुनः अनुरोध करती हूं कि आप वापस जाएं। आज कोई स्थगन नहीं होगा। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं। सभा को अपना काम जारी रखने दीजिए।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 167 - श्री सी. महेंद्रन - उपस्थित नहीं।

श्री मुथमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती) - उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब, प्रश्न संख्या 168

(प्रश्न संख्या 168)

[हिन्दी]

डॉ. मनोज राजोरिया: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें सर्वे के मुताबिक देश के 90 प्रतिशत लोग एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं और सिर्फ 6 प्रतिशत लोग आयुष में आयुवेरदिक, यूनानी, योगा और होम्योपैथिक का इलाज लेते हैं। आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया तथा इसे मान्यता दी और भारत का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया,...(व्यवधान) उसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी का पूरे देश की ओर से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मैं मंत्री जी का ध्यान इस चीज की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी की ओर से जिस तरीके से आयुष और योग को पूरी दुनिया में मान्यता दिलाई है और इसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया है,...(व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि क्या आयुष मंत्रालय इस तरह की कोई योजना बना रहा है, जिसके माध्यम से देश में आयुष को बढ़ावा दिया जा सके?...(व्यवधान)

श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पूछा है कि कम से कम 90 फीसदी लोग एलोपैथी का उपयोग करते हैं और बाकी 10 परसैन्ट लोग हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मैडिसन का उपयोग कर रहे हैं।...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि आज आयुष एक मंत्रालय बना है, इससे पहले आयुष हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर का एक विभाग था और इसके प्रति लोगों में जो अवेयरनैस होनी चाहिए थी,...(व्यवधान) वह अवेयरनैस नहीं थी। आज इसके मंत्रालय बनने के बाद आयुष मेलों तथा बाकी योजनाओं से हमने आयुष के प्रति लोगों में अवेयरनैस बढ़ाई है। ...(व्यवधान) यह एक नया मंत्रालय बना है, इसीलिए कई चीजें हम आयुष को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं।...(व्यवधान) हमने बीते छह महीने में कम से कम नौ आयुष मेलों का आयोजन किया, उनसे लोगों में इसके प्रति जागृति पैदा हुई है।...(व्यवधान) हमारा यह प्रयास है कि जैसे माननीय प्रधान मंत्री के जरिये हमने

एक योग दिवस मनाया है, उसी तरह से आयुष का जो प्रचार है, इसके प्रति लोगों में जो अवेयरनैस है और हमें इसकी जो सेवा लोगों को देनी है, यह सेवा देने के लिए आयुष अभी कार्यरत है। ...(व्यवधान) इसलिए आयुष मिशन हमने आज देश के सामने रखा है। इसमें आयुष की सेवाएं उपलब्ध करने की तरह-तरह की स्कीम्स हमने दी हैं। मैं माननीय सांसद को कहना चाहता हूं कि चाहे उनकी अपनी कांस्टीटुएंसी में हो या अपने राज्य में हो, जो स्कीम वह लाना चाहते हैं,...(व्यवधान) आयुष मिशन के अंतर्गत आप हमें एप्लाई करें, आपके राज्य में तथा अन्य राज्यो में आयुष की सुविधा देने के लिए हम निश्चित तौर से मदद करेंगे।...(व्यवधान)

डॉ. मनोज राजोरिया: अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि मंत्री जी ने आयुष विभाग में कार्य करते हुए जो अपनी अच्छी मंशा जताई है। वह आयुष के अंतर्गत आने वाले सिस्टम ऑफ मैडिसन को बढ़ावा देने के लिए आयुष मेलों का आयोजन कर रहे हैं।...(व्यवधान) लेकिन इसके साथ ही मंत्री जी ने मुझे जो डाटा दिया है, उस डाटा में भारी संख्या में सभी विभागों में वेकेन्सीज खाली पड़ी हैं। ...(व्यवधान) मंत्री जी ने मुझे जो डाटा दिया, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जो वेकेन्सीज खाली पड़ी हुई हैं, विशेष तौर से रिसर्च के सैक्टर, मैडिकल ऑफिसर के सैक्टर, सब-ऑर्डिनेट स्टाफ के सैक्टर के साथ-साथ सभी विभागों में ऐसी बहुत सारी वेकेन्सीज हैं,...(व्यवधान) जिन्हें भरे जाने की तुरंत आवश्यकता है। क्योंकि इन्होंने जो डाटा दिया है, उसमें एक चीज सभी सिस्टम ऑफ मैडिसंस में है कि अर्बन एरियाज में लगभग 78 प्रतिशत लोग आज भी प्राइवेट चिकित्सकों और प्राइवेट हास्पिटल्स से इलाज करवा रहे हैं।...(व्यवधान) आज आयुष मंत्रालय के द्वारा देश की गरीब जनता और आम जनता तक यह सुविधा पहुंचाने के लिए मंत्रालय इन वेकेन्सीज को कितना जल्दी भरने की कोशिश कर रहा है और वह इन्हें किस प्रकार भरेगा, क्या मंत्री जी इसका जवाब देंगे?...(व्यवधान)

श्रीपाद येसो नाईक : महोदया, माननीय सांसद ने जो प्रश्न उठाया है, वह सही है, उसमें तथ्य है।...(व्यवधान) हमें यह समझना चाहिए कि आयुष में जो वेकेन्सीज हैं, वे चाहें सभी काउंसिल में हों या दूसरी सभी संस्थाओं में हों, वे अभी भी बाकी हैं। इनको भरने का प्रयास पिछले तीन महीनों से शुरू हुआ है। ...(व्यवधान) कई पोस्टों

को भरने के लिए हमने पेपर्स में एडवर्टाइज़मेंट दिए हैं। ...(व्यवधान) इनके इंटरव्यू चालू हैं। ...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं पिछले कई सालों जो वैकेंसियां खाली हैं, उनको भरने का हमारा प्रयास चालू है और जल्दी से जल्दी हम इनको भरने की कोशिश करेंगे। ...(व्यवधान)

[4*]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 169 से 182
अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070)

[4*] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब मद संख्या 2, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर विचार करेगी।

विधि और न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2750/16/15]

(3) प्रतिवेदन संख्या 246, फरवरी, 2015 के पश्चात् के "लोक नीति" घटनाक्रमों के बारे में भारतीय विधि आयोग के माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के संशोधनों के बारे में अनुपूरक प्रतिवेदन संख्या 246 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2751/16/15]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैं, श्री राम विलास पासवान की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान (पैकेज बंद वस्तु) (संशोधन) नियम, 2015 जो 14 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 385 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2752/16/15]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य सामग्रियों पर (अनुज्ञप्तीकरण अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध) निराकरण (संशोधन) आदेश, 2015 जो 2 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1797 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2753/16/15]

(3) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक संवर्ग में भर्ती) संशोधन विनियम, 2015 जो 21 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 306 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2754/16/15]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2755/16/15]

(3) (एक) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2756/16/15]

(5) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (छठा संशोधन) नियम, 2014 जो 12 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.889 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2757/16/15]

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): महोदया, मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2015 का संख्यांक 21) - अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियों (वोल्यूम I और वोल्यूम II) परभारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2758/16/15]

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): मैं हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2759/16/15]

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, मैं केंद्रीय रेशम बोर्ड आधिनियम, 1948 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

1. केंद्रीय रेशम बोर्ड सिल्क-वार्म सीड (संशोधन) विनियम, 2015 जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा.का.[हिन्दी] नि. 75 में प्रकाशित हुए थे।
2. केंद्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 2015 जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा.का.नि. 76 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2760/16/15]

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): मैं, श्री पीयूष गोयल की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभार और हानि का बांटा जाना) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/44/2010/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण में खुला अभिगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो 15 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-7/105 (121)/2007/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण में सम्बद्धता, दीर्घकालिक अभिगम और मध्यकालिक खुला अभिगम प्रदान किया जाना और संबंधित मामले) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2015 जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1(3)/ 2009-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण स्कीम के निष्पादन हेतु विनियामक अनुमोदन की मंजूरी) (पहला संशोधन) विनियम, 2015 जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/41/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त मद सं (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2761/16/15]

(3) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2762/16/15]

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): मैं निम्नलखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 के अंतर्गत चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2015 जो 15 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. सा.का.नि.1012 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धिपत्र जो 25 जून, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 1693 (अ) में प्रकाशित हुआ है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2763/16/15]

(2) मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में से प्रत्येक की एक प्रति:-

(एक) अधिसूचना सं. एफ. सं. 5/7/2014-इपी (एग्री० V) / प्लांट डी जो 8 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा देश के विभिन्न मसाला उत्पादक प्रांतों के लिए मसाला विकास अभिकरण के रूप में पदाभिहित किए जाने हेतु, उसमें उल्लिखित, मसाला बोर्ड की सलाहकार समितियों का गठन किया गया है।

(दो) अधिसूचना सं. एडमिन-1/ई.एस.टी.टी./एस.पी.ई.डी.ए./2014 जो 18 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण के नाम से एक समिति का गठन किया गया है।

(तीन) अधिसूचना संख्या एडमिन-1/ई.एस.टी.टी./एस.पी.ई.डी.ए./2014 जो 8 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 18 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना सं. एडमिन-1/ई.एस.टी.टी./एस.पी.ई.डी.ए./2014 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2764/16/15]

(3) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 968 जो 8 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विशेष आर्थिक जोन में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की स्थापना का प्रचालन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2765/16/15]

(4) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ..798 (अ) जो 19 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 10 (1) के उपबंधों के प्रवर्तन को शिथिल किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2766/16/15]

(5) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.3094 (अ) जो 9 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 11 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1105 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2767/16/15]

(6) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 20क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 799 (अ) जो 19 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कर्नाटक सरकार द्वारा यथानिर्धारित शास्तियां प्रभारित करके नीलामी मंचों पर अप्राधिकृत अधिक तम्बाकू का क्रय करने के लिए व्यापारियों/व्यवहारियों को स्वीकृति देने हेतु तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2768/16/15]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हरिभाई चौधरी**): महोदया, मैं दिल्ली पुलिस आधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

1. दिल्ली पुलिस (पदोन्नति और पुष्टीकरण) (संशोधन) नियम, 2015 जो 16 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या एफ. 16/5/2014/एचपी-1/स्था./248 से 250 में प्रकाशित हुए थे।
2. दिल्ली पुलिस (भर्ती और नियुक्ति) (संशोधन) नियम, 2015 जो 16 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या एफ.16/6/2014/एचपी-1/स्था./251 से 253 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2769/16/15]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया**): महोदया, मैं आवश्यक वस्तु आधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्निलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

1. उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2015 जो 16 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या का.आ. 1317 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

2. का.आ. 1562 (अ) जो 13 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 जून, 1995 की आधिसूचना संख्या का.आ. 572 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2770/16/15]

[अनुवाद]

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैं, श्री हंसराज गंगाराम अहीर, की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2771/16/15]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और भेषक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2772/16/15]

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2773/16/15]

(तीन) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2774/16/15]

(चार) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2775/16/15]

(पांच) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2776/16/15]

(छह) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2777/16/15]

(सात) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2778/16/15]

(आठ) राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2779/16/15]

(नौ) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2780/16/15]

(दस) हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2781/16/15]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.. 1233 (अ) जो 8 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ओषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2782/16/15]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्धेश्वर): मैं भेल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2783/16/15]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2784/16/15]

(2) बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) और बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2785/16/15]

(3) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए इलाहाबाद बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2786/16/15]

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2787/16/15]

(तीन) वर्ष 2014-2015 के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2788/16/15]

(चार) वर्ष 2014-2015 के लिए देना बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2789/16/15]

(पांच) वर्ष 2014-2015 के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2790/16/15]

(छह) वर्ष 2014-2015 के लिए पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2791/16/15]

(सात) वर्ष 2014-2015 के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2792/16/15]

(आठ) वर्ष 2014-2015 के लिए यूको बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2793/16/15]

(नौ) वर्ष 2014-2015 के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2794/16/15]

(दस) वर्ष 2014-2015 के लिए केनरा बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2795/16/15]

(ग्यारह) वर्ष 2014-2015 के लिए कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2796/16/15]

(बारह) वर्ष 2014-2015 के लिए इंडियन बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2797/16/15]

(तेरह) वर्ष 2014-2015 के लिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2798/16/15]

(चौदह) वर्ष 2014-2015 के लिए सिंडिकेट बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2799/16/15]

(पंद्रह) वर्ष 2014-2015 के लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2800/16/15]

(सोलह) वर्ष 2014-2015 के लिए विजया बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2801/16/15]

(सत्रह) वर्ष 2014-2015 के लिए आन्ध्रा बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2802/16/15]

(अठारह) वर्ष 2014-2015 के लिए बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2803/16/15]

(उन्नीस) वर्ष 2014-2015 के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2804/16/15]

(4) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारियों की सेवा) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 26 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2014-15/22/366 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2805/16/15]

(5) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 जो 17 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ॰सं॰ आईआरडीए/रेग/2/92/2015 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 22 मई, 2015 की अधिसूचना सं. आईआरडीए/रेग/6/96/2015 में प्रकाशित हुआ है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2806/16/15]

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के साधारण शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ० सं० आईआरडीए/रेग/3/93/2015 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2807/16/15]

(तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वाहन तृतीय पक्ष बीमा कारबार के संबंध में बीमाकती का दायित्व) विनियम, 2015 जो 5 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. आईआरडीए/रेग/8/98/2015 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2808/16/15]

(चार) अधिसूचना सं. एफ० सं० आईआरडीए/आईएसी/7/97/2015 जो 27 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा प्रकाशन की तारीख अर्थात् 25 मई, 2015 से बीमा सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2809/16/15]

(पांच) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नामनिर्देशन का रद्दकरण या परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए शुल्क) विनियम, 2015 जो 29 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ० सं० आईआरडीए/रेग/4/94/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (समनुदेशन या अंतरण की सूचना की पावती की लिखित अभिस्वीकृति देने के लिए शुल्क) विनियम, 2015 जो 29 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ० सं० आईआरडीए/रेग/5/95/2015 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2810/16/15]

(6) बीमा अधिनियम 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 870(अ) जो 27 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विशेष आर्थिक जोन में बीमा कारबार करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 के कतिपय उपबंधों को छूट दिए जाने के बारे में है।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विशेष आर्थिक जोन में बीमा कारबार का विनियमन) नियम, 2015 जो 27 मार्च, 2015के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 230 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय बीमा कंपनियां (विदेशी निवेश) (संशोधन) नियम, 2015 जो 3 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 534(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2811/16/15]

(7) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) विनियम, 2015 जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/4 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2812/16/15]

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2813/16/15]

(तीन) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 जो 11 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2814/16/15]

(चार) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति का प्रश्न) विनियम, 2015 जो 4 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/3 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2815/16/15]

(पांच) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 जो 12 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/5 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2816/16/15]

(छह) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 जो 23 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/6 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2817/16/15]

(सात) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015 जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/7 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2818/16/15]

(आठ) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 2015 जो 14 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2819/16/15]

(नौ) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारियों की सेवा) विनियम, 2014 जो 14 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2820/16/15]

(8) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा (7) की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2014-2015 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2820/16/15]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों के कार्यकाल तथा सेवा की अन्य शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2015 जो 13 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 380 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों के कार्यकाल तथा सेवा की अन्य शर्तें) तीसरा संशोधन नियम, 2015 जो 2 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 448 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2821/16/15]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2822/16/15]

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2823/16/15]

(तीन) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2824/16/15]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2585 (अ) जो 7 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21क (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 105) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उप-मण्डलीय अधिकारी (सिविल) नालागढ़ जिला सोलन को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 2586 (अ) जो 7 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21क (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 105) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु जिला राजस्व अधिकारी, पंचकुला को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 179 (अ) जो 19 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 5) (देवरीघाट-प्रेमघाट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 622 (अ) जो 27 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 (गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1629 (अ) जो 17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 (गया-हिसुआ-राजगीर-बिहार शरीफ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 1216 (अ) जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 मई, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 1231(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का.आ. 1217 (अ) जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 (बारवा अड्डा से बराकर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 335 (अ) जो 5 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 75 (रांची नगर उंतरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1263 (अ) जो 13 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 1264 (अ) जो 13 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 23 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रामगढ़ को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 688 (अ) जो 9 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 327ख, 31, 31ग और 10 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 579 (अ) जो 20 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 475 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का.आ. 427 (अ) जो 10 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 475 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का.आ. 1583(अ) जो 24 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 102 (छपरा-रेवाघाट-मुजफ्फरपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 446 (अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 (औरंगाबाद से बरवा-अड्डा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 584 (अ) जो 20 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 33 (रांची-ररगांव खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 730 (अ) जो 10 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 (औरंगाबाद से बरवा अड्डा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 2289 (अ) जो 9 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 200 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 49) (विलासपुर-उरदावल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 290 (अ) जो 30 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 365 (तनमचेरला से जमनदलापल्ली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 551 (अ) और का.आ. 552 (अ) जो 17 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 233 (भारत-नेपाल सीमा से वाराणसी) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 568 (अ) से का.आ. 572 (अ) जो 19 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 78 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43) (अंबिकापुर-पट्टलगांव खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 586 (अ) से का.आ. 589 (अ) जो 20 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 78 (कटनी-सहदोल-अनुप्पुर से एमपी/सीजी सीमा खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 592 (अ) से का.आ. 594 (अ) जो 20 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 43 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30) (दमतरी जगदलपुर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 612 (अ) जो 25 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12क (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30) (मध्य प्रदेश सीमा छिपली से सिमगा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 624 (अ) जो 27 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 (नागौर-जोधपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 639 (अ) जो 3 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआथा तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 149 (पल्लाहारा-पिटीरीखंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जनके बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 634 (अ) से का.आ. 636 (अ) जो 3 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 12क (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30) (मध्य प्रदेश सीमा छिपली से सिमगा खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 638 (अ) जो 3 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 जनवरी, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 41(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतीस) का.आ. 684 (अ) जो 9 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 (ब्यावर बघाना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का.आ. 685 (अ) जो 9 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 63 (अनन्तपुर जिला खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 683 (अ) जो 9 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3315 (अ) और 18 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 461(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बत्तीस) का.आ. 716 (अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 216 (नया एनएच 153) (रायगढ़-सरनगढ़-सरायपल्ली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 717 (अ) और का.आ. 718 (अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12क (जबलपुर-मंडला-चिल्पी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 767 (अ) जो 16 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जुलाई, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 2307 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैतीस) का.आ. 781 (अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 जून, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 1573 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छत्तीस) का.आ. 780 (अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया एनएच 214क) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 806 (अ) जो 20 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 (इण्डो नेपाल बोर्डर से वाराणसी) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 857 (अ) जो 26 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (पुराना) (कर्नाटक-झारसुगुडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 875 (अ) और का.आ. 876 (अ) जो 20 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (नया एनएच 30) (एमपी बोर्डर चिल्पी से सिमगा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 932 (अ) और का.आ. 933 (अ) जो 6 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365 (मंगलवरिपेट से मल्लीम्पल्ली-तनमचेरला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 931 (अ) जो 6 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश बोर्डर चित्तूर से आंध्र प्रदेश/कर्नाटक बोर्डर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 1010 (अ) और का.आ. 1011 (अ) जो 15 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया एनएच 130) (बिलासपुर-अम्बिकापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. 1078 (अ) जो 24 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे मेंहै।

(चवालीस) का.आ. 1079 (अ) से का.आ. 1081 (अ) जो 24 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28ग (नया एनएच 927) (बाराबंकी-बहराइच रूपैधिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 1077 (अ) जो 24 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 जनवरी, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 243 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियालीस) का.आ. 1083 (अ) से का.आ. 1085 (अ) जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 (कल्याण-आंध्र प्रदेश बोर्डर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 1104 (अ) जो 28 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 जून, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 1573 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तालीस) का.आ. 1106 (अ) जो 28 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 (इंडो नेपाल बोर्डर से वाराणसी) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 1105 (अ) जो 28 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में नॉदर्न कोटा बाइपास के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का.आ. 1133 (अ) जो 24 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 (नया एनएच 43) (पठालगांव से सीजी/जेएच बोर्डर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ. 1153 (अ) जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 206 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए विशेष भूमि अर्जन अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(बावन) का.आ. 1163 (अ) जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29ई से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (गोरखपुर बाइपास) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(तिरेपन) का.आ. 1151 (अ) जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 1162 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौवन) का.आ. 1152 (अ) जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 (वग्गमपल्ली से डोरनाला 'टी' जंक्शन) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का.आ. 1154 (अ) जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 765 (हैदराबाद-डिन्डी) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छप्पन) का.आ. 1180 (अ) जो 5 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (नया एनएच 30) (एमपी बोर्डर चिल्पी-सिमगा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतावन) का.आ. 1282 (अ) जो 14 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बीवर से बघाना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठावन) का.आ. 1386 (अ) जो 22 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 221 (विजयवाड़ा-भद्राचलम खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनसठ) का.आ. 1402 (अ) जो 26 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 (पेंचलाकोना से एरपेडू खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(साठ) का.आ. 1403 (अ) जो 26 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 1141 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकसठ) का.आ. 1418 (अ) जो 28 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 216 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 153) (रायगढ़, सारनगढ़, सराईपली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बासठ) का.आ. 689 (अ) जो 9 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरसठ) का.आ. 3248 (अ) जो 22 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 (गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौसठ) का.आ. 516 (अ) जो 16 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 333ख के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(पैसठ) का.आ. 737 (अ) जो 12 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 102 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(छियासठ) का.आ. 233 (अ) जो 23 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (महुलिया से भरगौड़ा खंड) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (भरगौड़ा से चिचिरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सड़सठ) का.आ. 812 (अ) जो 15 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (आईटीआई मोड़ चस से चरगी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़सठ) का.आ. 451 (अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (रांची-नगर उंतारी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनहत्तर) का.आ. 798 (अ) जो 15 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (बरवा-अड्डा से बराकर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तर) का.आ. 444 (अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद से बरवा-अड्डा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकहत्तर) का.आ. 846 (अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (रांची-नगर उनतारी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बहत्तर) का.आ. 400 (अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (चास-बोकारो-गोला-रामगढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिहत्तर) का०आ० 731 (अ) जो 10 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद से बरवा-अड्डा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौहत्तर) का.आ. 399 (अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बरहामपुर फरक्का खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचहत्तर) का.आ. 988 (अ) जो 10 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (हरियाणा/राजस्थान सीमा से सालासार खण्ड) के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।

(छिहत्तर) का.आ. 1097 (अ) जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (रायपुर-बिलासपुर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।

(सतहत्तर) का.आ. 1098 (अ) जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (इडापल्ली- वायटिल्ला-अरूर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।

(अठहत्तर) का.आ. 1219 (अ) जो 7 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ.. 334 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नासी) का.आ. 1335 (अ) जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलौर-कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।

(अस्सी) का.आ. 1336 (अ) जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशितहुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।

(इक्यासी) का.आ. 1384 (अ) जो 22 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47ग के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।

(बयासी) का.आ. 1422 (अ) जो 29 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2519 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिरासी) का.आ. 1786 (अ) जो 1 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 1081 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौरासी) का.आ. 1787 (अ) जो 1 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 (खेड-सिन्नार खण्ड) के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।

(पचासी) का.आ. 1788 (अ) जो 1 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 912 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियासी) का.आ. 1789 (अ) जो 1 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 2405 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सतासी) का.आ. 1321 (अ) जो 18 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365 (तनमचेरला-मल्लापल्ली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठासी) का.आ. 1175 (अ) जो 30 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 (राजभिता उर्फ राजगंज से लोहपित्ती खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(4) उपर्युक्त (3) की मद सं. (चार) से (चौहत्तर) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2825/16/15]

(5) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1968 की धारा 124 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 23 (अ) जो 12 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता, पदोन्नति) विनियम, 2013 का एक शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2826/16/15]

(6) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)। ।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2827/16/15]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2828/16/15]

(दो) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2829/16/15]

(3) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ड्राईवर) समूह 'ग' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2015, जो 11 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 70 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सशस्त्र सीमा बल जज अटार्नी जनरल (डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल), एडिशनल जज अटार्नी जनरल (कमांडेंट), डिप्टी जज अटार्नी जनरल (डिप्टी कमांडेंट) और जज अटार्नी (असिस्टेंट कमांडेंट) भर्ती (संशोधन) नियम, 2015, जो 4 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 452 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2830/16/15]

(4) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, समूह 'क' (सामान्य डयूटी अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 जो 20 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 408 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2831/16/15]

(5) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य डयूटी संवर्ग (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 जो 13 मई,

2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 379 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2832/16/15]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गूर्जर): महोदया मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

1. (एक) मनोविकास केंद्र रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर दि हैंडीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

   (दो) मनोविकास केंद्र रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर दि हैंडीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

   [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2833/16/15]

3. (एक) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

   (दो) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने मे हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

   [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2834/16/15]

5. (एक) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज़ एकेडमी, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

   (दो) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज़ एकेडमी, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

6. उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने मे हुए विलम्ब कि कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2835/16/15]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): महोदया, डॉ. संजीव बालियान की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड और कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2836/16/15]

(2) पौधा किस्म और कृषक आधिकार संरक्षण आधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

   (एक) पौधा किस्म और कृषक आधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2015, जो 16 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा0का0नि0 494(अ) में प्रकाशित हुए थे।

   (दो) पौधा किस्म और कृषक आधिकार संरक्षण (जीन निधि से मान्यता और पुरस्कार) (संशोधन) नियम, 2015, जो 16 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा0का0नि0 495(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पौधा किस्म और कृषक आधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2015, जो 16 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा0का0नि0 496 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पौधा किस्म और कृषक आधिकार संरक्षण स्कीम, 2015, जो 16 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा0का0नि0 497 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2837/16/15]

(3) नाशक कीट और नाशक जीव आधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2015, जो 27 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या का0आ01413(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2838/16/15]

(4) (एक) वेटरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेटरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2839/16/15]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री सुदर्शन भगत**) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रोमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रोमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रोमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2840/16/15]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): महोदया, मैं, मेरे सहयोगी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालयके बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथाअंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2841/16/15]

(2) (एक) प्रसार भारती नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2842/16/15]

(4) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 8 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1388 (अ) जो 25 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 5 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 2693 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2843/16/15]

(5) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2015 जो 23 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 216 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2844/16/15]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) (क) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2845/16/15]

(ख) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 और 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2846/16/15]

(ग) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली का मई, 2009 से दिसम्बर, 2009 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2847/16/15]

(घ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली का वर्ष, 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2848/16/15]

(ड.) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली का वर्ष, 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2849/16/15]

(च) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2850/16/15]

(छ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2851/16/15]

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 से 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2852/16/15]

(3) संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2853/16/15]

[अनुवाद]

अपराह्न 12.06 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

13वां प्रतिवेदन

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 ¼ बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री पी.पी. चौधरी (पाली): मैं लाभ के पदों संबंधी दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 ½ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

15वें से 18वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदया, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं और विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में वित्त संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में वित्त संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

(3) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में वित्त संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

(4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में वित्त संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07 बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

(1) 7वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (**मेरठ**): महोदया, मैं शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

(दो) विवरण

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: महोदया, मैं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.07 ½ बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

11वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'उर्वरकों का संचालन और निगरानी प्रणाली' विषय पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

अपराह्न 12.08 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

187वां तथा 188वां प्रतिवेदन

श्रीमती किरण खेर (चंडीगढ़): मैं गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) तटीय सुरक्षा स्कीम के बारे में 177वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई संबंधी 187वां प्रतिवेदन।

(2) देश में आपदा प्रबंधन के बारे में 178वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सकरार द्वारा की गई-कार्रवाई संबंधी 188वां प्रतिवेदन।

———

अपराह्न 12.08 ½ बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

86वां प्रतिवेदन

डॉ. सुभाष रामराव भामरे (धुले): मैं होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2015 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 86वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

———

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, माननीय राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट टेररिस्ट अटैक पर होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर उनके स्टेटमेंट के पहले आप सभी अपनी-अपनी सीट पर जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर माननीय राजनाथ सिंह जी अपना स्टेटमेंट रखेंगे, 'अटैक इन गुरूदासपुर'।

श्री राजनाथ सिंह जी।

<u>अपराह्न 12.09 बजे</u>

इस समय पर श्री के. सी. वेणुगोपाल, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

अपराह्न 12.10 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) गुरदासपुर, पंजाब में आतंकवादी हमला[5*]

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं गुरुदासपुर, पंजाब में हुए आतंकवादी हमले के संबंध में अपना स्टेटमैंट सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

27, जुलाई, 2015 की सुबह लगभग 5 बजकर 30 मिनट पर सेना की यूनिफॉर्म में भारी तादाद में हथियारों से लैस तीन आतंकवादियों ने पंजाब के गुरुदासपुर जिले के दीनानगर के आउटस्कर्ट्स पर दीनानगर निवासी श्री कमलजीत सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह की मारुति कार नं. पीबी09बी 7743 पर गोलीबारी करते हुए कार को अपने कब्ज़े में ले लिया। इसके बाद इन आतंकवादियों ने दीनानगर बस स्टैंड के आसपास अंधाधुंध गोलियाँ चलाईं। उन्होंने बामियाल से आ रही पंजाब रोडवेज़ की बस नं. पीबी06जी9569 को भी अपना निशाना बनाया।

इसके बाद ये आतंकवादी दीनानगर पुलिस स्टेशन में घुस गए और सुरक्षा ड्यूटी में तैनात संतरी पर फायर किया। पुलिस स्टेशन पर फायरिंग के दौरान होमगार्ड राजिन्दर कुमार और अशोक कुमार घायल हुए। थानाध्यक्ष, सब-इंस्पैक्टर मुख्तियार सिंह, जो पुलिस स्टेशन के अंदर थे, जब बाहर निकले तो आतंकवादियों द्वारा उनको भी फायरिंग कर उन्हें घायल कर दिया गया। आतंकवादी लगातार गोलीबारी करते हुए पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। रात्रि की मुंशी ड्यूटी पर तैनात हवलदार रामलाल ने संतरी का हथियार लेकर बहादुरी से आतंकवादियों का सामना किया। हवलदार रामलाल पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए और उन्होंने दरवाज़े को अंदर से बंद कर लिया ताकि आतंकवादी पुलिस स्टेशन के अंदर प्रवेश न कर पाएँ। अंधाधुंध

[5□] ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2854/16/15

फायरिंग के कारण पुलिस स्टेशन के बगल में स्थित किरन अस्पताल में भर्ती तीन मरीज़ भी गोली लगने से घायल हो गए जिनमें से दो लोगों की मृत्यु हो गई।

अध्यक्ष महोदया, इस दौरान ये आतंकवादी पुलिस स्टेशन के पीछे बनी बिल्डिंग, जो पंजाब होमगार्ड की स्थानीय टुकड़ी के कार्यालय के रूप में प्रयोग में लाई जा रही थी, में फायरिंग करते हुए घुस गए। वहाँ उपस्थित तीन होमगार्ड्ज़ फायरिंग की चपेट में आकर वीरगति को प्राप्त हो गए।

तत्काल ही पुलिस की रीइनफोर्समैंट दीनानगर पुलिस स्टेशन पहुँच गई। इसके उपरान्त आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन के संचालन एवं निगरानी के लिए डीजीपी पंजाब सहित वरिष्ठ पुलिस आधिकारियों की टीम भी घटनास्थल पर पहुँच गई।

दोनों तरफ से हुई फायरिंग के फलस्वरूप होने वाली क्षति को कम-से-कम स्तर पर रखने, आतंकवादियों को भागने से रोकने तथा उन्हें ज़िन्दा पकड़ने के उद्देश्य से पंजाब पुलिस द्वारा लगातार हरसंभव प्रयास जारी रखे गए। अंत में इस सफल ऑपरेशन के दौरान तीनों आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया। दुर्भाग्यवश, इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस आधिकारी श्री बलजीत सिंह, एस.पी.(डिटैक्टिव) गुरुदासपुर आतंकवादियों का सामने करते हुए शहीद हो गए। पंजाब पुलिस ने मृत आतंकवादियों से तीन ए.के.47, 19 मैगज़ीन्स और दो जीपीएस सहित भारी मात्रा में अवैध सामग्री भी बरामद की है जिसको एनालाइज़ किया जा रहा है। मैं पंजाब पुलिस द्वारा किए गए इस ऑपरेशन की हृदय से सराहना करता हूं और पूरी पंजाब पुलिस को भी मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ।

जीपीएस डाटा के प्रारंभिक अध्ययन से संकेत मिले हैं कि आतंकवादियों ने पाकिस्तान से, गुरुदासपुर जिले के तास क्षेत्र, जहाँ रावी नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, से घुसपैठ की। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इन्हीं आतंकवादियों ने जम्मू-पठानकोट रेल-मार्ग पर दीनानगर और झकोल नदी के बीच तलवंडी गाँव के पास पाँच आई.ई.डी. प्लांट किए जिन्हें मौके पर ही बॉम्ब डिस्पोज़ल स्क्वैड द्वारा डिफ्यूज़ कर दिया गया। इस स्थान से एक नाइट विज़न डिवाइस भी बरामद किया गया।

इस दौरान गृह-मंत्रालय स्थिति पर लगातार कड़ी नज़र रखते हुए पंजाब सरकार से लगातार संपर्क में रहा। इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की सहायता करने के लिए आर्मी और एनएसजी को विकल्प के रूप में तैयार रखा गया था। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री, पंजाब से बात की एवं केन्द्र सरकार द्वारा सभी आवश्यक सहयोग के लिए इन्हें आश्वस्त किया। बीएसएफ और आर्मी को विशेष रूप से सीमा पर हाई अलर्ट पर रखा गया। इस आतंकी हमले में तीन नागरिक, तीन होमगार्ड के जवान एवं एक पुलिस आधिकारी सहित कुल सात लोगों की मृत्यु हो गई और इसके आतिरिक्त दस नागरिक और सात सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं।

मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि विगत एक माह में जम्मू और कश्मीर सीमा पर घुसपैठ के कुल पांच प्रयास किए गए, जिसमें आठ आतंकवादियों को न्यूट्रेलाइज़ करते हुए चार प्रयासों को विफल कर दिया गया। घुसपैठ की शेष एक अन्य घटना में आतंकवादियों को सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के कारण वापस लौटना पड़ा था। भारतीय सुरक्षा बल सीमा क्षेत्र में सतर्क रहती हैं, परन्तु कठिन भौगोलिक परिस्थितियां एवं मूसलाधार बारिश होने से सीमा क्षेत्र की नदियों एवं नहरों में अत्यधिक तेज बहाव के कारण ये आतंकवादी भारतीय सीमा में घुस पाने में सफल हुए होंगे।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को यहां आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की एकता एवं अखंडता तथा देश के नागरिकों की सेफ्टी एवं सिक्योरिटी को अंडरमाइन करने के देश के दुश्मनों के किसी भी प्रयास का हमारे सुरक्षा बलों द्वारा त्वरित एवं मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा। सरकार, आतंकवाद से दृढ़ता और कड़ाई से निबटने के लिए प्रतिबद्ध है और सीमा पार से चलाई जा रही सभी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए हरसम्भव प्रयास होंगे।

मैं सरकार की ओर से सभी मृत नागरिकों एवं वीरगति को प्राप्त सुरक्षाकर्मियों के परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी। आप चर्चा मांगिये। स्टेटमेंट पर प्रश्न नहीं होते। [अनुवाद] मैं आपको चर्चा का समय दूँगा, आप माँगिए न। मैं ना नहीं कह रही हूँ।

[हिन्दी]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मैडम, कोई अलग नोटिस देकर चर्चा करनी है तो उसके लिए सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय अध्यक्ष **:** आप नोटिस दे दो, मैं चर्चा करवाऊंगी। आप नोटिस दे दो, इतना ही मेरा कहना है। नियम के अनुसार स्टेटमेंट पर प्रश्न नहीं होते हैं।

<u>अपराह्न 12.13 बजे</u>

इस समय श्री गौरव गोगोई और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (*व्यवधान*)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूं कि केवल यह सदन ही नहीं, बल्कि सारा देश मेरी इस बात से सहमत होगा कि आतंकवाद इस देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और आतंकवाद के सवाल पर न तो भारत की संसद विभाजित दिखनी चाहिए और न यह देश किसी भी सूरत में विभाजित दिखना चाहिए।...(व्यवधान) मैं विनम्रतापूर्वक अपने विपक्ष के सभी मित्रों से अपील करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा करना चाहते हैं, मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं उसका जवाब देने के लिए और जो भी बहस होगी, उसका उत्तर देने के लिए भी मैं तैयार हूं। ...(व्यवधान) ऐसी परिस्थिति में, जबकि हमारे जवान शहीद हुए हैं और जवान, जो कि अपनी जान को हथेली पर लेकर आतंकवाद का मुकाबला करता है, देश और देशवासियों की सुरक्षा करता है, अध्यक्ष महोदया, एक तरफ वे शहादत दे रहे हैं, ...(व्यवधान) एक तरफ उनकी शहादत हो और दूसरी तरफ आतंकवाद जैसे सवाल पर इस सदन में शोर-शराबा हो,...(व्यवधान) कैसे यह देश इसे स्वीकार कर सकता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं यह भी विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि आतंकवाद के सवाल पर हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री इस सम्बन्ध में सतत प्रयत्नशील है और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आतंकवाद के सवाल

पर बराबर यह कोशिश की गई है, आज से साल-सवा साल के कुछ वर्षों में कि आतंकवाद से इस देश के लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जाये। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2013 में इसी सदन में पिछली यू.पी.ए. सरकार के पूर्व गृह मंत्री ने हिन्दू आतंकवादी जैसी एक नई टर्मिनोलोजी की ईजाद की थी, ताकि जो जांच की दिशा है, उस जांच की दिशा को बदल दिया जाये और आतंकवाद के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ यह देश न खड़ा हो पाये।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के गृह मंत्री ने उस समय जो स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने 'हिन्दू आतंकवाद' जैसी एक नयी टर्मिनोलॉजी का ईज़ाद किया था।...(व्यवधान) उसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान के हाफिज़ सईद ने भारत सरकार के गृह मंत्री को बधाई दी थी।...(व्यवधान) हम ऐसी शर्मनाक स्थिति इस देश में किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने देंगे।...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद, आतंकवाद होता है।...(व्यवधान) आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, कोई पंथ नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता है।...(व्यवधान) शर्म-अल-शेख और हवाना में क्या हुआ?...(व्यवधान) आतंकवाद को लेकर वहां पर सहानुभूति व्यक्त की गयी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, ऐसा नहीं होना चाहिए।...(व्यवधान) यूपीए की सरकार ने बराबर कूटनीति की बिसात पर बैठकर विदेश नीति की शक्ल को संवारने की कोशिश की है।...(व्यवधान) मैं सरकार की पिछली नीतियों का भी हवाला देना चाहता हूं।...(व्यवधान) इसका परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में मैं चार पंक्तियों में कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा-

चीन छीन देश का गुलाब ले गया,
ताशकंद में वतन का लाल सो गया,
ये सुलह की शक़ल को संवारते रहे,
जीतने के बाद बाज़ी हारते रहे।

अध्यक्ष महोदया, यही इनकी विदेश नीति रही है।...(व्यवधान) इतना ही कहते हुए अन्त में, अपने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि आतंकवाद के सवाल पर हमें गंभीरतापूर्वक यहां

पर चर्चा करनी चाहिए।...(व्यवधान) इस आतंकवाद की चुनौती को पूरी ताकत के साथ हम कैसे स्वीकार करें, इसके संबंध में विचार करना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस पर चर्चा मांगिए। मैंने कहा है कि इस पर चर्चा कराएंगे। आप नोटिस दीजिए। इस पर चर्चा कराएंगे।

... (व्यवधान)

<u>अपराह्न 12.22 बजे</u>

(दो) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[6*]

[अनुवाद]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): मैं, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश 73-क के अनुसरण में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से सम्बंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।... (*व्यवधान*)

समिति के उपर्युक्त प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के विवरण वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिए गए हैं। (*व्यवधान*)

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के साथ संलग्न की गई कार्रवाई प्रतिवेदन में उल्लिखित है, जिसे सभा पटल पर रखा गया है। मैं इस संलग्न प्रतिवेदन की समस्त विषय-वस्तु को पढ़ने के लिए सभा का बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पठित माना जाए।

... (*व्यवधान*)

[6□] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2855/16/15

अपराह्न 12.23 बजे

(तीन) 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित[7*]

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, सदन के माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से, हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 07 अगस्त, 1905 को चलाए गए स्वदेशी आंदोलन को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक वर्ष 07 अगस्त को 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।...(व्यवधान) पहला 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' दिनांक 07 अगस्त, 2015 को मनाया जा रहा है।...(व्यवधान)

माननीय महोदया, वास्तव में, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का उद्देश्य सामान्य रूप से हथकरघा की महत्ता और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और विशेषकर हथकरघा को बढ़ावा देना, बुनकरों की आय और उनके गौरव में वृद्धि करना है।...(व्यवधान) यह एक महत्वपूर्ण कदम है।...(व्यवधान)

माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि इससे हथकरघा बुनकरों की स्थिति में सुधार होगा और सदन के सारे सदस्यों से आग्रह है कि इस काम को प्रसन्नापूर्वक लेकर आने वाले समय में सहयोग करें।...(व्यवधान) धन्यवाद।

[7□] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2856/16/15

अपराह्न 12.24 बजे

सभा का कार्य

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि सोमवार, 3 अगस्त से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य निम्नलिखित होंगे:-

1. आज के आदेश पत्र से लिए गए सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।
2. निरसन एवं संशोधन (चौथा) विधेयक, 2015 पर विचार और पारित करना।
3. चर्चा और मतदान:-

    (अ) 2012-13 के लिए अतिरिक्त अनुदान (रेलवे) की मांगें, और

    (ब) 2015-16 के लिए अनुदानों की अनुपूरक माँगें (सामान्य)।
4. इन मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों का पुरःस्थापित, विचार और पारित करना।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (**अकबरपुर**): अध्यक्ष महोदया, सादर अवगत हो कि मेरे संसदीय क्षेत्र (44 अकबरपुर) से संबंधित निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए अगले सप्ताह की कार्य सूची में जोड़ने की कृपा करें।

मेरे संसदीय क्षेत्र 44 - अकबरपुर के अंतर्गत जनपद कानपुर नगर में गंगा घाट बिठूर, भीतरगांव, अमौर, कुड़नी, घाटमपुर में कुष्मांडा देवी जैसे प्राचीन मंदिरों के साथ महाकवि भूषण की जन्मस्थली एवं सासंद आदर्श

ग्राम टिकवापुर, मोतीझील का तुलसी उपवन, पनकी का प्राचीन हनुमान मंदिर, ड्याोढ़ी घाट आदि कई स्थानों का सांस्कृतिक, धार्मिक पौराणिक, ऐतिहासिक महत्व है। उक्त स्थानों पर बने प्राचीन मंदिरों की दूर-दूर तक विख्याति होने के कारण उक्त स्थानों पर कई प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है, किन्तु उक्त प्राचीन धरोहरों की देखभाल न होने तथा हालत जीर्ण- शीर्ण होने के कारण इनकी महत्वता क्षीण होती जा रही है। इस सभी प्राचीन धरोहरों को पर्यटन स्थल घोषित कर विकास कराये जाने की महती आवश्यकता है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त सभी स्थलों का सर्वे कराकर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराये जाने की कृपा करें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केवल विषय पर बोलें।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर।

डॉ. शशि थरूर

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री विद्युत वरन महतो

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप केवल दो विषय रखेंगे।

... (व्यवधान)

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): महोदया, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्न लिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :-

1. रखा माइन्स, केन्दाडीह माइन्स तथा धोबनी एवं पाथर गड़िया, किसनी गड़िया माइन्स को खोलने के सम्बन्ध में।

2. झारखंड में दलमा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 51 मौजा के 136 गांवों को इको सेंसेटिव जोन में रखने के विरोध के सम्बन्ध में। ...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महोदया, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न लिखित विषयों को जोड़ा जाए :-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा अन्तर्गत प्रत्येक किसानों के खेतों की सिंचाई हेतु 500 फीट की गहराई से पानी के लिए ट्यूबवेल लगाने हेतु सब्सिडी की व्यवस्था कराई जाए, जिससे किसानों में खुशहाली हो सके।

2. देश में प्रत्येक वृद्ध, मजदूर-किसान, जिसकी आयु 60 साल से आधिक हो, उसे बी.पी.[हिन्दी] एल. श्रेणी की सीमा को समाप्त करते हुए वृद्धावस्था पेंशन दी जाए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. परशुरामन (तंजावुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री आगामी सप्ताह के कार्यों के संबंध में वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे तो मैं निम्नलिखित मामले उठाना चाहता हूं:

1. भूजल के अनुचित दोहन को रोकने के उद्देश्य से देश में पर्याप्त जल भंडारण बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को पूरी तरह लागू करने के लिए पर्याप्त धनराशि के आबंटन की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं :-

1. देश में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं। इन कंपनियों के कंपनी आधिनियम के तहत कॉरपोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) मद के तहत विभिन्न सामाजिक एवं विकास के कार्य करवाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं, लेकिन यह देखने में आया है कि कंपनियों द्वारा सीएसआर मद की पूरी राशि खर्च नहीं की जाती है। अतः सीएसआर मद की राशि को पूर्ण खर्च करने एवं कार्यों की समीक्षा के विषय पर चर्चा को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।
2. देश के कई राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति बहुत खराब है। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 99 चण्दवा-चतरा पथ जो एनएच 2 से जोड़ता है, उसमें चतरा-हण्टरगंज-डोभी की स्थिति अत्यं दयनीय और खराब है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सही स्थिति एवं विस्तार के लिए कार्य को समय पर पूर्ण किया जाना चाहिए। कार्य का लक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर समय सीमा के बार-बार एक्सटेंशन के कारणों के बारे में चर्चा किया जाना आवश्यक है। अतः विषय की गंभीरता को देखते हुए इस विषय को आगामी सप्ताह की चर्चा में सम्मिलित किया जाए।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन - उपस्थित नहीं।

श्री राजेश रंजन

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (**मधेपुरा**) : अध्यक्ष महोदया, मेरे निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित करने की कृपा की जाये। यह आति महत्वपूर्ण सवाल है। ...(व्यवधान)

समान शिक्षा प्रणाली हेतु गठित मुचकुंद दुबे कमेटी की रिपोर्ट जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, उसे लागू करने हेतु सख्त विधि नियम बनाये जाने के संबंध में। ...(व्यवधान)

दूसरा, माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद अभी तक देश में क्लिनिकल एक्ट लागू नहीं हुआ है, इसे तत्काल लागू करने हेतु सख्त विधि नियम बनाये जाने के संबंध में। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, इसे अगले सप्ताह की कार्यसूची में रखा जाये। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (**अहमदाबाद**) : स्पीकर महोदया, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाये। ...(व्यवधान)

1. डा. बाबा साहेब, भीम राव अंबेडकर जी की 125वीं जन्म जयंती पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर अंबेडकर विद्यालयों की स्थापना की जाए। ...(व्यवधान)

2. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई जी की समाधि स्थल, साबरमती आश्रम गौशाला ट्रस्ट, अहमदाबाद अभय घाट की जरूरी औपचारिकताओं को पूर्ण करके, चहूंमुखी विकास किया जाये। धन्यवाद।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.31 बजे

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) - 2015-16[8*]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, मद सं. 34 - श्री अरुण जेटली।

... (*व्यवधान*)

वित्त मंत्री, कॉरपोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं वर्ष 2015-16 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.32 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[8□] ग्रंथालय में रखा गया, देखिर संख्या एलटी 2857/16/15

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

(माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

... (*व्यवधान*)

सदस्यों द्वारा निवेदन

पंजाब के गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले के संबंध में गृहमंत्री का वक्तव्य

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदय, मैंने गुरदासपुर आतंकवादी घटना के बारे में श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा दिए गए वक्तव्य को माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में लाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे इसकी अनुमति नहीं दी गई। यह वक्तव्य नियम 372 के अंतर्गत दिया गया। उस नियम के अनुसार - आप उस नियम के बारे में जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है - केवल वक्तव्य दिया जा सकता है। *स्वत: संज्ञान* के बाद कोई चर्चा या आगे प्रश्न नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश, माननीय गृह मंत्री ने इसके बाद एक लम्बा भाषण दिया। मुझे उनकी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है। हम सबने इसका स्वागत किया। हमने भी ताली बजाकर इसका समर्थन किया क्योंकि देश एक है। हम यह कहना चाहते हैं कि हम सब एक हैं; आतंकवादी गतिविधियों पर कोई समझौता नहीं; राष्ट्रीय एकता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगर इस देश पर कुछ भी संकट आएगा तो हम सब उसका सामना करने के लिए एकजुट हैं। इस विषय में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यही हमारा स्पष्ट मत है। इसी कारण हमने विनम्रतापूर्वक प्रयास किया और अपने सभी सदस्यों से अनुरोध भी किया...(*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर बैठें।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदय, वे बोल नहीं कर सकते। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री किरीट सोमैया, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: खड़गे जी, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं नियमों के विरुद्ध नहीं जा रहा हूँ। नियमों के अनुसार, माननीय मंत्री ने वक्तव्य दिया, लेकिन जो वक्तव्य उन्होंने दिया, उसका उद्देश्य केवल इस सदन को विभाजित करना था... (*व्यवधान*) कांग्रेस को दोष देना ठीक नहीं है। (*व्यवधान*)

कांग्रेस के समय में उन्होंने क्या-क्या किया था! क्या चीन और अन्य जगहों का जिक्र करना आवश्यक था? पिछली सरकार को बदनाम करने के लिए ही उन्होंने ये बातें कही थीं। (*व्यवधान*) इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए आप राजनीति कर रहे हैं; और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे... (*व्यवधान*)

इसलिए महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन्होंने *स्वतः संज्ञान* के अलावा जो कुछ भी अतिरिक्त कहा है, उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए और इसे कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें। ...(*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदय, यदि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है तो हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह नियमानुसार होना चाहिए। वे नियम 193 या आधे घंटे की चर्चा या किसी अन्य नियम के तहत नोटिस दे सकते हैं। उन्हें जो भी करना है उन्हें नियमों के अधीन करने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होना

चाहिए कि वे *स्वयं कोई निर्णय* ले लें, फिर नियमों को दरकिनार करते हुए किसी पर दोष मढ़ें और नायक बनने की कोशिश करे... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसलिए, *स्वत: संज्ञान* के बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा था, उसे हटा दिया जाना चाहिए। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, गुरूदासपुर में आतंकी हमले के पश्चात गृह मंत्री जी ने अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि आतंक की लड़ाई में पूरा सदन एक है, इस पर सदन के सभी सदस्यों की सहमति हुई, सभी ने एक स्वर में कहा कि आतंक की लड़ाई में पूरा सदन एक है, हम सभी ने इसका मेज थपथपाकर स्वागत किया। इसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने विस्तार से बताया कि आज देश में कुछ परिस्थितियां ऐसी उभरी हैं ...(व्यवधान) जिसका मूल कारण हमारी नीति का एक न होना है और जब तक सदन में ऐसे विषयों पर सहमति नहीं होगी तो देश में ऐसा संवाद जाएगा कि देश आतंक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है ...(व्यवधान)। माननीय गृह मंत्री जी ने इसी विषय का विश्लेषण करके माननीय सांसदों से आग्रह किया कि देश की सुरक्षा के सवाल पर हम एकमत होकर रहें, इसी बात का आग्रह उन्होंने किया है, इसमें कोई भी विषयांतर नहीं है। सदन को इस विषय पर किसी रूप में बांटने का प्रयास नहीं किया गया है। ये शब्द बिल्कुल गलत है, जो बात उन्होंने सदन में रखी है वह देश के हित में है, देश की एकता के हित में है, सांसदों की भूमिका के बारे में कही गई है। मुझे नहीं लगता कि जो भी उन्होंने बात कही है, वह गलत है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपने स्थान पर बैठें।

... (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मेरे पास व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय उपाध्यक्ष: व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। हम 'शून्यकाल' ले रहे हैं। उन्होंने पहले ही यह मुद्दा उठाया है। इसलिए, दूसरों को उसी विषय पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इसी विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। उन्होंने पहले ही यह मुद्दा उठाया है। मंत्री जी ने जवाब भी दिया है। अब यह मामला खत्म हो चुका है।

... (*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): यह कैसे खत्म हुआ?

श्री राजीव प्रताप रूडी: उन्हें चर्चा के लिए नोटिस देने दीजिए और हम उसे स्वीकार कर लेंगे। यदि वे विचार-विमर्श के लिए नोटिस देना चाहते हैं तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। यदि वे नोटिस जारी कर दें तो इस विषय पर चर्चा करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब हम 'शून्यकाल' पर विचार करेंगे... (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय: महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा। मैंने नोटिस दे दिया है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि नियम 372 के अंतर्गत कोई भी मंत्री *स्वतः संज्ञान* से बयान दे सकता है और यह स्पष्ट है कि यदि अध्यक्ष महोदय सहमत हो जाते हैं तो उसके बाद कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। माननीय अध्यक्ष द्वारा भी यह कहा गया था कि यदि आप इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, तो एक पृथक प्रस्ताव के माध्यम से बताएं। लेकिन क्या हुआ? एक वक्तव्य प्रसारित किया गया। फिर, वक्तव्य के समाप्त होने के पश्चात्, सभी ने उस मौन को अनुभव किया। अचानक, गृह मंत्री ने एक उग्र भाषण देना प्रारंभ किया, जिसमें उन्होंने कुछ व्यक्तियों पर 'हिंदू आतंकवाद' का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और शर्म-अल-शेख का संदर्भ भी प्रस्तुत किया। अब जबकि आतंकवाद के उन्मूलन के विषय में सदन पूर्णतः एकमत है, ऐसे में गृह मंत्री का यह वक्तव्य नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि न तो इसे पूर्व में प्रसारित किया गया था और न ही यह वक्तव्य उपयुक्त था — इसने सभा में विभाजन की स्थिति उत्पन्न कर दी। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप गृह मंत्री के वक्तव्य की समीक्षा करें, क्योंकि उनका भाषण पूर्व-तैयार वक्तव्य से हटकर था। जो कुछ उन्होंने कहा, वह हमें पूर्व में प्रसारित नहीं किया गया था।

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपने स्थान पर बैठें। आप अपनी बात पहले ही कह चुके हैं।

आपने कुछ मुद्दे उठाए हैं और खड़गे जी ने भी इसे उठाया है। उस समय माननीय अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने इसकी अनुमति दी थी। वे सर्वोच्च हैं। उन्होंने जो भी नियमों के अंतर्गत कहा, उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया ध्यान दें, मैं आपको स्थिति से अवगत करा रहा हूँ।

... (*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: हम व्यवस्था चाहते हैं। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: इसके अतिरिक्त, अभी खड़गे जी ने भी कहा कि वे उपलब्ध नियमों के अंतर्गत इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि चर्चा उन्हीं नियमों के अनुसार हो। आपने कहा कि आप इसके लिए तैयार हैं, और उन्होंने भी अपनी सहमति व्यक्त की है। अतः यह विषय यथास्थिति में स्वीकार्य है।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: नहीं, माननीय अध्यक्ष सर्वोच्च हैं।

... (*व्यवधान*)

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, इस विषय पर यदि माननीय सदस्यों द्वारा कोई नोटिस दिया जाता है तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है। [हिन्दी] अगर आपकी तरफ से आतंकवाद पर चर्चा के लिए कोई नोटिस आता है तो हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं ...(व्यवधान) अगर आतंकवाद के सवाल पर कांग्रेसी मित्र सदन में बार-बार आएंगे तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर देश में चर्चा नहीं हो पाएगी। इसलिए आप इनसे कहें कि नोटिस दें। ...(व्यवधान) सदन में हर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे में क्या उठाया है।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : पूर्व में ऐसे अनेक उदाहरण रहे हैं जब मंत्रियों ने स्वप्रेरित वक्तव्यों के पश्चात हस्तक्षेप करते हुए अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है।

अब, हम 'शून्यकाल' पर विचार करेंगे।

... (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 2.11 बजे</u>

इस समय श्री कोडिकुन्नील सुरेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री जगदम्बिका पाल - उपस्थित नहीं।

श्री निशिकान्त दुबे।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, ... [9*]भ्रष्टाचार की जननी है और यह गंगोत्री में डूबी हुई है। ...(व्यवधान) सीएजी की लगातार रिपोर्टें आयी हैं और इसने टू-जी, कोलगेट, सीडब्ल्यूजी आदि घोटाले जाहिर किये हैं। ...(व्यवधान) आज यह अपनी चोरी बंद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आपका और इस देश का ध्यान ले जाना चाहता हूं। ...(व्यवधान) अभी सीएजी की एक रिपोर्ट ड्यूल फ्रेट के बारे में आयी है। ...(व्यवधान) रेल मंत्रालय ने 22 मई, 2008 को रेलवे में दोतरफा फ्रेट जारी किया। ...(व्यवधान) रेल मंत्रालय ने यह इसलिए जारी किया, क्योंकि वर्ष 2009 में इलैक्शन होने वाला था और उनको इसकी स्मगलिंग करानी थी। ...(व्यवधान) ड्याूल फ्रेट रोकने के लिए रेलवे के पास कोई भी ऐसे काम नहीं थे या कोई आधिकारी ऐसे नहीं थे, जिन्हें यह पता होता कि यह डोमेस्टिक आयरन ओर जायेगा या यह इंटरनैशनल आयरन ओर जायेगा। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, यह कारण था कि रेलवे के माध्यम से, खासकर हमारे झारखंड से लगातार आयरन ओर की चोरी हो रही थी। ...(व्यवधान) यहां के बिजनसमैन एक वैगन की बुकिंग कराते थे और कहते थे कि हम डोमेस्टिक फ्रेट ले जा रहे हैं और उसे चाइना, जापान या जहां कहीं भी बेचना होता था, स्मगलिंग के माध्यम से बेचते थे। ...(व्यवधान) इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2010-11 में सीएजी की रिपोर्ट आयी। ...(व्यवधान) सीएजी की रिपोर्ट में रेलवे ने उसकी कोई भी एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं दी। ...(व्यवधान) उसके

[9]□ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बाद वर्ष 2012-13 में फिर सीएजी की रिपोर्ट आयी। ...(व्यवधान) दो-दो बार रिपोर्ट आ गयी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की। ...(व्यवधान) इसके बाद फाइनली अभी वर्ष 2015 में एक रिपोर्ट आयी है और कहा गया है कि चूंकि कांग्रेस ने यह काम नहीं किया, इसे रोकने का प्रयास नहीं किया। ...(व्यवधान) सारे रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड इसके दोषी हैं। ...(व्यवधान) इस कारण से देश को 30 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सारे रेल मंत्रियों के ऊपर, वर्ष 2008 से जो भी रेल मंत्री रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए, व्हाइट पेपर जारी कीजिए और उन्हें जेल भेजिये। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री पी.पी. चौधरी और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित कर रहा हूं। ...(व्यवधान) सन् 1997 में पांच आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे। ...(व्यवधान) उसके बाद वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बनें। ...(व्यवधान) फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिषद् मेरे नेतृत्व में बना। ...(व्यवधान) वाजपेयी जी के साथ तमाम बैठकें हुईं, आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से वाजपेयी जी की सरकार ने बहुत महान काम किया और 85वां संवैधानिक संशोधन पास किया, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है। ...(व्यवधान) इसे कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी। ...(व्यवधान) वह मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। ...(व्यवधान) वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट में नागराज के नाम से एक केस लड़ा जाता है और पदोन्नति में आरक्षण का आधिकार हमें मिलता है, अर्थात् 85वां संवैधानिक संशोधन बैलट किया जाता है। ...(व्यवधान) फिर 4 जनवरी, 2011 को लखनऊ होई कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को मना कर दिया।

...(व्यवधान) उसके बाद वह केस सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पदोन्नति में आरक्षण से विसंगतियां पैदा हुई हैं। ...(व्यवधान) वर्ष 2012 में यह बिल राज्य सभा में पास हो चुका है लेकिन लोक सभा में पास नहीं हो पाया।...(व्यवधान) मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह इसी सत्र में पदोन्नति में आरक्षण का बिल लाये और पास करे। ...(व्यवधान) यही मेरा सरकार से अनुरोध है। लखनऊ हाई कोर्ट की दो जजेज की बेंच थीं। ...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को मना किया, जबकि नागराज केस में पांच जजेज की बेंच थीं। ...(व्यवधान) उसके हिसाब से भी पदोन्नति में आरक्षण बरकरार रहना चाहिए। ...(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश में कर्मचारी और आधिकारी समाजवादी पार्टी की सरकार की वजह से बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। ...(व्यवधान) उनका डिमोशन हो रहा है, इसे फौरन रोका जाना चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण देने का बिल राज्यसभा में पास हो चुका है मैं सरकार से अर्ज करता हूं कि लोकसभा में इसी सत्र में पास करके लाखों एससी, एसटी आधिकारियों और कर्मचारियों का रिवर्सल रोका जाए। इनका फरदर प्रमोशन ब्लॉक हुआ है, उसे भी दुरुस्त किया जाए। ...(व्यवधान) हरियाणा सरकार ने हाल ही में पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता साफ किया है। मैं मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह रास्ता साफ किया है, हालांकि दुर्भाग्यवश कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए हैं। बिहार, राजस्थान राज्य में कमेटी बनाकर पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है।...(व्यवधान) मेरा कहना है कि इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री वीरेंद्र कश्यप, श्री पी.पी. चौधरी, डॉ. यशवंत सिंह, श्री विनोद कुमार सोनकर, श्रीमती प्रियंका सिंह रावत, साध्वी सावित्री बाई फुले और श्रीमती अंजू बाला को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोल्हापुर के लोगों की कई सालों से मांग थी कि पूना से कोल्हापुर लाइन का दोहरीकरण और इलैक्ट्रिफिकेशन किया जाए। मैं माननीय रेल मंत्री जी आभार मानता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वर्ष 2014-15 के रेल बजट में पूना से मिरज डबलिंग के लिए 4600 करोड़ रुपए का एनाउसमेंट किया है। मिरज से कोल्हापुर सिर्फ 46 किलोमीटर दूर है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि बाकी बचे हुए 46 किलोमीटर के ट्रैक की डबलिंग और इलैक्ट्रिफिकेशन भी की जाए।...(व्यवधान)

कोल्हापुर से कोंकण को जोड़ने का प्रस्ताव कई सालों से चल रहा है। हमारी यह मांग कई सालों से है। 2014 में इसका सर्वे किया गया और 3000 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बनाया गया। यह रूट थोड़ा लंबा है इसलिए मैं रेल मंत्री जी गुजारिश करता हूं कि कोल्हापुर, राजापुर ट्रैक अगर गगनबावड़ा तालुका से जाए तो इसकी कॉस्ट कम हो सकती है। गगनबावड़ा तालुका डैवलमेंट में पीछे है, अगर यह ट्रैक बन जाता है तो इस तालुके की उन्नति हो सकती है। ...(व्यवधान)

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश की आंतरिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। यह बहुत सेंसटिव इश्यू है।...(व्यवधान) देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित आईपीएस आधिकारियों की नियुक्ति बहुत आवश्यक है। देश में आईपीएस आधिकारियों के पदों की कुल संख्या 4754 है जिसमें 3848 पद भरे गए हैं जबकि एक वर्ष से 906 पद रिक्त हैं। महाराष्ट्र राज्य में 62 पद रिक्त हैं लेकिन इन्हें भरने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे आधिक 129 पद रिक्त हैं।...(व्यवधान) यदि इतने महत्वपूर्ण पद रिक्त रहते हैं तो आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का क्या होगा, अपराध बढ़ते जाएंगे और इसे रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल का होना अत्यंत आवश्यक है। हर वर्ष कुछ पद रिटायरमेंट के कारण रिक्त हो जाते हैं लेकिन इन्हें उस अनुपात में भरा नहीं जा रहा है। पिछली सरकार ने इन पदों को भरने का कोई प्रयास नहीं किया है। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आईपीएस आधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने के लिए कारगर कदम उठाएं ताकि देश में आंतरिक सुरक्षा का इंतजाम सुचारु रूप से हो सके।...(व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं शून्य काल में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। आज कल किडनी फेल्यर के मरीजों की संख्या बहुत बढ़ रही है।...(व्यवधान) पिछले 15 सालों में यह संख्या दुगनी हो गई है। इनमें 20 परसेंट मरीज गरीबी रेखा के नीचे हैं। मुम्बई रेल में कैंसर से पीड़ित मरीजों और डिसएबल्ड लोगों के लिए एक कोच डेडिकेटिड रखा गया है।...(व्यवधान) किडनी फेल्यर मरीजों का डायलिसिस होता है और चार घंटे डायलिसिस के बाद मरीज इतने कमजोर हो जाते हैं कि वे रेल में सफर नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनको इस कम्पार्टमेंट में यातायात करने की अनुमति देने की मांग मैं इस शून्य प्रहर में कर रहा हूं। ...(व्यवधान) रेल मंत्री जी से और रेल के आधिकारियों से मेरी प्रार्थना है कि मुम्बई जैसे शहरों में लोकल ट्रेन में आपने जो हैंडीकैप्ड और केंसर पैशेंट्स के लिए डेडीकेटेड कम्पार्टमेंट रखा है, उसी में किडनी के पेशेंट्स को भी यातायात करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री निशिकान्त दुबे, डॉ. किरिट पी. सोलंकी और श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री हरिनारायण राजभर - उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार लगातार अपराधियों और बलात्कारियों के चंगुल में जा चुका है। आए-दिन सासाराम में दलित बेटियों के साथ बलात्कार

और बलात्कार की वीभत्स घटनाएं होती रहती हैं।...(व्यवधान) और फिर उस घटना के बाद पूर्णिया में बलात्कारियों ने जिस तरीके से एक मां के साथ, बहिनों के साथ गैंगरेप किया, वह अत्यंत ही निंदनीय और गंभीर मामला है। अभी परबत्ता में कल आर.एन.सिंह विधायकों के गुंडों के द्वारा परबत्ता में तांती समाज के पूरे गांव पर हमला बोलकर महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई।...(व्यवधान) बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया गया और गांवों से तांती समाज के पूरे समाज को लूटकर भगा दिया गया। इसी तरह से लखीसराय में एक तांती को उठाकर एक दबंग और क्रिमिनल ने उसे क्रैशर में फेंककर दो टुकड़ों में कर दिया। पिंटूश यादव की हत्या एक विधायक के इशारे पर बार में कर दी जाती है और अभी तक उन विधायकों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती और न ही कोई केस लगाये जाते हैं।

अभी हाजीपुर में दो मुखिया के साथ- हाजीपुर के विदुपूर्ण मुखिया को जनता दल के लोगों द्वारा मारकर फेंक दिया गया। ...(व्यवधान) अभी सोपोल में करजान में एक मुखिया को मारकर फेंक दिया गया। वहां पर लगातार साम्प्रदायिकता का माहौल बना हुआ है। मधेपुरा में दलितों के एक गांव पर हमला किया गया। सौगर में मुसलमानों के गांवों पर हमला किया गया। बिहार में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं। अपराधी, नेता, दलाल और धनपतियों के हाथ में पूरा बिहार चला गया है। रिंकुश राज जिसको पुलिस ने किशनगंज में मार दिया और ऐसे ही दस नौजवान किशनगंज में गायब हैं जो नौकरी मांगने के लिए गये थे। उसमें एक सिंकुराज है। लेकिन सिंकुराज को मार दिया गया। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किशनगंज में मारे गये छात्रों के परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।...(व्यवधान) बिहार पूरी तरह से अपराधियों के चंगुल में है। बिहार में पूरी तरह से लाठी और गोली की सरकार है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि बिहार सरकार को आविलम्ब बर्खास्त करके बिहार में दस करोड़ लोगों की हिफाजत की जाए। वहां की मां और बहनें सुरक्षित नहीं हैं। ...(व्यवधान) वहां की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सासाराम की दलित की बेटी, पूर्णिया की बहनें और परबत्ता के तांती समाज की औरतों और बेटियों पर जो जुल्म हुआ है, इन सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए और रिंकुशराज की पुलिस ने मारते मारते हत्या कर दी, आज तक जांच नहीं की गई और किशनगंज में दस नौजवान

अभी तक गायब हैं। ...(व्यवधान) इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि बिहार सरकार लगातार अपराधी और दलाल विधायकों के चंगुल में है तथा वह लगातार जनप्रतिनिधियों पर हमला कराती है। ...(व्यवधान) वहां के नौजवान सुरक्षित नहीं हैं। वहां के रोजगार सेवक, वहां के नियोजित शिक्षक, लोक शिक्षक, आंगनवाड़ी, प्रोफेसर, जवान सभी पर लाठियां और गोलियां चल रही हैं। उनको न्याय नहीं मिलता है।...(व्यवधान) इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि बिहार में डाटा ऑपरेटर्स को, प्रोफेसर्स को, जवानों को, मां-बेटियों को सरकार सुरक्षित करे, उनकी हिफाजत करे। आंगनवाड़ी महिलाएं भूख से मर रही हैं लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं है। डाटा ऑपरेटर्स भूख से मर रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। यह सरकार गुंडों की सरकार है। इसलिए इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, मैं ऐसी मांग करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री निशिकान्त दुबे, डॉ. किरिट पी. सोलंकी और श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (*व्यवधान*)

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी (मेडक): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में विरोध प्रदर्शन कर रहे टीआरएस पार्टी के सदस्य के रूप में मैं अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहता हूं। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (**अहमदाबाद**) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने गुजरात के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने की मुझे स्वीकृति दी है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान) दक्षिण गुजरात में इलैक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन लिगनाइट के लिए सम्मति दी गई है मगर आपके माध्यम से मैं सरकार और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गुजरात को लिगनाइट के बेस पर इलैक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने की अनुमति दी गई है।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे गुजरात के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने की अनुमति दी है। दक्षिण गुजरात में इलैक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन लिग्नाइट बेस्ड करने के लिए सहमति दी गयी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन का एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गुजरात को लिग्नाइट के बेस पर इलैक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने की अनुमति तो दे दी गयी, लेकिन उसे लिग्नाइट प्रदान नहीं किया जाता है। यदि इसके माध्यम से गुजरात में इलैक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो स्मॉल और कुटीर उद्योग को उससे फायदा हो सकता है, बिजली की दरें सस्ती हो सकती है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि गुजरात इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को लिग्नाइट का आबंटन किया जाए। नेयवेली कारपोरेशन के माध्यम से आबंटन किया जाए। गुजरात में बिजली के संबंध में ज्योति ग्राम योजना के तहत 24 घंटे बिजली मिलती है। यदि लिग्नाइट के माध्यम से गुजरात को बिजली मिलती है, तो इससे गुजरात के लोगों को कम दामों पर उपलब्ध हो सकता है।

आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ज़ीरो आवर में बोलने का अवसर दिया।

मैं पूरे राजस्थान की एक समस्या के बारे में, सदन को और माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ। 65वें संविधान संशोधन के पश्चात् पूरे पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्त बनाने के लिए काफी आधिकार दिये गये और इन आधिकारों में से स्वास्थ्य विभाग, जलदायी विभाग तथा अन्य विभागों के कार्य इनके हाथ में दिये गये। लेकिन इनको धनराशि या फाइनैंशियल आधिकार नहीं दिये गये। इस कारण पीएचईडी विभाग से संबंधित जो काम इनको सौंपे गये थे, वह यह था कि ग्रामीण क्षेत्र की जो पेय जल व्यवस्था है, पेय जल संबंधी जो कार्य हैं, वे पंचायतों को दिये गये। राजस्थान में भी पंचायतों को ग्रामीण पेय जल संबंधी काम दिया गया और इसका राजस्थान में नाम था- जनता जल योजना। इस योजना के तहत पंचायत को अपने ट्यूबवेल चलाने, मोटर पम्प रखने, बिजली बिल का भुगतान करने आदि का काम पंचायतों

के जरिये दिया गया। यदि कोई मशीन खराब हो जाती है, तो उसे भी ठीक करना उनका काम था। लेकिन कुछ अंतराल में पंचायतें इन कार्यों को करने में सक्षम नहीं रहीं क्योंकि उनके पास धन की कमी थी। भारत सरकार की ओर से कोई पैकेज नहीं दिया गया था। इस कारण से आज की तारीख में राजस्थान की आधिकांश पंचायतों में पेय जल व्यवस्था ठप है। जनता जल योजना काफी दुर्गती की हालत में है।

मैं आपके माध्यम से माननीय जलदाय मंत्री, पेय जल मंत्री और पंचायती राज मंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जनता जल योजना को, हालांकि यह योजना राजस्थान सरकार की है, लेकिन चूंकि पंचायतों को संगठित करना, सुदृढ़ करना, पंचायतों को स्वायत्तता देना भारत सरकार का कार्य है। भारत सरकार के द्वारा 65वाँ संविधान संशोधन लाया गया है। ऐसे समय में मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि राजस्थान को एक विशेष पैकेज दें ताकि आज तक जो जनता जल योजना का पेमेंट बकाया है, उसे पंचायतें चुकाये और उसके बाद आगे का कार्य राजस्थान सरकार स्वयं देखें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं उत्तर प्रदेश, विशेष तौर से जनपद इलाहाबाद और कौशाम्बी में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ।

मेरे लोक सभा क्षेत्र फूलपुर में, पिछले एक महीने से हत्या, लूट, बलात्कार, छिनैती, डकैती की अनेक घटनाएँ घटीं। लेकिन उन अपराधियों को पकड़ने की जगह प्रदेश सरकार के इशारे पर, चूंकि इस समय जो प्रदेश में सरकार है, वह ... अपराधियों की सरकार है। ... *और अपराधियों की सरकार के कारण जिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के सोरांव थानाक्षेत्र, मऊ-आइमा थानाक्षेत्र, फूलपुर थानाक्षेत्र, धूमनगंज थानाक्षेत्र आदि सभी थानाक्षेत्रों में ऐसी घटनाएँ घट रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि अभी कुछ दिन पहले दुकान में बैठा हुए एक व्यापारी, सामान बेचने के लिए बैठा हुआ है, वहां समाजवादी पार्टी के

कुछ कार्यकर्त्ता... [10]*उसकी दुकान पर आते हैं, पैंतीस-छत्तीस हजार रुपये का सामान खरीदते हैं और जब वह व्यापारी पैसे की मांग करता है तो उसे गोली मार दी जाती है। उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गयी और एक व्यक्ति अभी अस्पताल में है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण आधिनियम है, लेकिन उस कानून के बावजूद इस समय गोहत्यारों को जैसे वहां पूरी छूट मिली हुई है। तस्करी और हत्याओं की घटनाओं में शामिल रहने वाले अपराधियों को थानों से संरक्षण मिल रहा है। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस एक वर्ग विशेष को तुष्ट करने के लिए लोगों को अपमानित करने पर जुटी है। पुलिस लाइन के अंदर दंगों पर नियन्त्रण करने के बारे में रिहर्सल किया जाता है, उस रिहर्सल के दौरान जिन लोगों को दंगाई बताया जाता है, उनके हाथ में भगवा झण्डा पकड़ाया जाता है। मैं आज इस सदन के माध्यम से इसकी भर्त्सना करता हूं और ऐसे पुलिस आधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं।...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में एक प्रसिद्ध शिव मन्दिर है - पाण्डेश्वर महादेव। वहां पर निशान चढ़ाने की परम्परा है। अभी पिछले दिनों मउआइमा थाना क्षेत्र के अन्दर गांव के भक्त लोग सामान्य ढंग से निशान चढ़ाने के लिए जा रहे थे, उस समय रमजान का महीना भी चल रहा था। उन लोगों ने वहां उनके सम्मान में अपने ध्वनिवर्धक यंत्र बंद करके आगे निकलकर गए, लेकिन उसके बावजूद उन पर हमला किया गया। हमला करने वालों पर कार्रवाई करने की जगह जिन लोगों पर हमला हुआ, उन लोगों को आभियुक्त बनाने का काम किया गया।...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय कानून का राज नहीं, अपराधियों ... * का राज है, भ्रष्टाचार चरम पर है, माताएं-बहनें सुरक्षित नहीं

[10]□ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं हैं, नौजवान सुरक्षित नहीं हैं। मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैं ऐसी मांग करता हूं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के जिला धौलपुर की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धौलपुर राजस्थान का एकमात्र स्टेशन है जो उत्तर-मध्य रेलवे के अन्तर्गत आता है। गाड़ियों के ठहराव के अभाव में रेल सुविधाओं से उपेक्षित है। यहां आगरा फोर्ट-अजमेर इंटरसिटी (12195-12196) गाड़ी अजमरे से आगरा तक जाती है। इस समय में जब रेलवे का उद्देश्य यह है कि आधिक से आधिक यात्रियों को सुविधाएं दी जाएं और रेलवे की आमदनी भी बढ़ाई जाए। यह रेल अजमेर से सुबह रवाना होती है और रात में लगभग आठ बजे आगरा आकर ठहर जाती है और पूरी रात आगरा में रुकती है। अगले दिन सुबह रवाना होकर वापस अजमेर जाती है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करुंगा कि इस रेलगाड़ी का विस्तार अगर ग्वालियर तक कर दिया जाता है तो ग्वालियर के रास्ते में बीच में धौलपुर आता है, इस तरह से धौलपुर और ग्वालियर के यात्रियों को इस रेलगाड़ी के माध्यम से जुड़ने का मौका मिलेगा। रात आठ बजे आगरा पहुंचने की बजाय अगर यह गाड़ी दस बजे ग्वालियर खड़ी होती है तो इसकी आमदनी भी बढ़ेगी और यात्रियों को सुविधा भी होगी। फिर यही रेल वापस वहां से रवाना होकर अजमेर जा सकती है।

मेरा आपसे आग्रह है कि इस रेलगाड़ी का विस्तार ग्वालियर तक करने की कृपा करें जिससे इसके माध्यम से रेलवे की आय भी बढ़े और यात्रियों की सुविधा भी बढ़े। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह पिछली सरकार द्वारा पारित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को पूर्णतः लागू करे तथा आंध्र प्रदेश राज्य को दिए गए सभी आश्वासनों को यथाशीघ्र पूरा करे। महोदय, आप देख रहे हैं कि इस समय क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। चूंकि अधिनियम का क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम देख रहे हैं कि तेलंगाना के सांसद भी आज सभा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

मेरा भारत सरकार से विनम्र अनुरोध है कि आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया जाए। आज माननीय मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी ने बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग पर किसी माननीय सदस्य को स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है। मंत्री ने कहा कि चौदहवें वित्त आयोग के बाद किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन महोदय, कृपया आंध्र प्रदेश राज्य की तुलना किसी अन्य राज्य से न करें जिसके लिए लोग विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। विभाजन से पहले हम नकारात्मक बजट वाले राज्य नहीं थे।

पिछली सरकार द्वारा पैदा की गई सभी समस्याओं के कारण ही हम अब ऋणात्मक बजट की स्थिति में हैं। ... (*व्यवधान*) ऋणात्मक बजट में होने के कारण 14$^{वें}$ वित्त आयोग में भले ही राज्यों को ज्यादा पैसा मिल रहा हो, पांच साल बाद भी हम ऋणात्मक बजट वाले राज्य ही रहेंगे जबकि तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक समेत आपके सभी पड़ोसी राज्य तमिलनाडु राज्य के पास 30,000 से 40,000 करोड़ रुपये का अधिशेष बजट होगा। हम उनसे कैसे मुकाबला कर सकते हैं? (*व्यवधान*) हम ऋणात्मक बजट की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जबकि अन्य सभी राज्य अधिशेष बजट में रहेंगे। हमारे लिए समान प्रतिस्पर्धा का कोई अवसर नहीं बचेगा, और इसके बावजूद सभी अधिनियमों को लागू करने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। ... (*व्यवधान*) इसी

कारणवश, यह स्पष्ट है कि आंध्र प्रदेश को प्राप्त होने वाली तीन प्रमुख औद्योगिक परियोजनाएँ राज्य से वंचित रह गईं, क्योंकि वे सभी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने की अपेक्षा पर आधारित थीं। … (*व्यवधान*) इसमें विलंब होने के कारण वे औद्योगिक परियोजनाएँ अन्य राज्यों में स्थापित हो गईं, और आज आंध्र प्रदेश में भारी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। राज्य के पास किसी भी प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।... (*व्यवधान*)

इसके अतिरिक्त, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने पर केंद्र सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता 90:10 के अनुपात में प्रदान की जाती है। … (*व्यवधान*) यदि इस विषय में विलंब हो रहा है, अथवा सरकार को विशेष दर्जा प्रदान करने में कोई व्यावहारिक कठिनाई प्रतीत हो रही है, या यदि इसके क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाए, जिसमें 90:10 का अनुपात अनिवार्य न हो।... (*व्यवधान*) एक विशेष पैकेज की व्यवस्था की जा सकती है, चाहे वह 80:20 या 70:30 के अनुपात में ही क्यों न हो। कोई न कोई अनुदान तो तत्काल रूप से प्रदान किया जाए, ताकि आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। … (*व्यवधान*)

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आंध्र प्रदेश के लोगों की भावनाओं को समझे और उसे विशेष दर्जा दे तथा पुनर्गठन अधिनियम में शामिल सभी पहलुओं को लागू करे। … (*व्यवधान*) इससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों को बहुत लाभ होगा। मैं भारत सरकार से सादर और विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री जनार्दन मिश्र (**रीवा**) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में राजनैतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा रिश्वत लेना, किसी संस्था की मदद करना या सरकारी धन का अपने हित में दुरुपयोग करने के कारण एक नकारात्मक धारणा लोगों के मन में बन रही है। ऐसे मामलों में कई बार तो अदालतों में मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और अपराधी न्यायालयों में पेश भी होते हैं। उनमें से कई दोषी भी पाए गए हैं, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी गत से चलती

है कि देश की जनता यह महसूस करने लगती है कि राजनैतिक नेता और कार्यकर्ता अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस राजनैतिक भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता यह मानती है कि राजनैतिक लोग इस अपराध को दबाने के लिए प्रभावशाली हैं।...(व्यवधान)

मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में खाली मेरे जिले में जब उमा भारती जी पहली बार मुख्य मंत्री बनीं, उनसे पहले जो ... की सरकार थी, तो शिक्षाकर्मियों के घोटाले में मेरे ही जिले में 60 लोग दोषी पाए गए थे। लेकिन वह केस न्यायालय में पांच-सात साल से लम्बित हैं। मध्य प्रदेश में 1,000 से ज्यादा राजनैतिक नेताओं को सजा हो चुकी है। शिक्षाकर्मियों के घोटाले के मामले में वे सारे के सारे लोग आज बाहर घूम रहे हैं। ...(व्यवधान) जनता यह मान रही है कि ... लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ये जेल जाने से बच जाएंगे। पूरे देश में यह धारणा जा रही है, चाहे वह किसी भी प्रदेश में किसी भी मामले में हो। ...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से देश के विधि मंत्री जी से निवेदन है कि राजनैतिक नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के रिश्वत लेने के मामलों की जांच के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जाए। इन मामलों की सुनवाई इन विशेष न्यायालयों और पीठ में की जाए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, लेकिन मैं अपनी पूरी बात इस व्यवधान के कारण नहीं कह पा रहा हूं।...[11]□आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री जनार्दन मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

[11]□ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. भागीरथ प्रसाद (भिंड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बुंदेलखण्ड और चम्बल क्षेत्र से जुड़ी हुई एक मांग आपके सामने रखना चाहता हूं। भिंड से कोंच रेल लाइन बुंदेलखण्ड और चम्बलवासियों का लम्बे समय से सपना रहा है। हम रेल मंत्रालय और भारत सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने अल्प समय में ही भिंड से कोंच रेल लाइन का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। इस लाइन से भिंड और बुंदेलखण्ड का पिछड़ा क्षेत्र झांसी-कानपुर मुख्य रेल लाइन से जुड़ जाएगा और आगे महोबा होते हुए, इलाहाबाद एवं सतना से जुड़ कर मुम्बई-हावड़ा मुख्य रेल लाइन के सम्पर्क में आ जाएगा। दूसरी ओर बुंदेलखण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र इटावा, आगरा और दिल्ली से जुड़ेगा। इस रेल लाइन की लम्बाई लगभग 88 किलोमीटर प्रस्तावित है, अतः इतनी कम दूरी की रेल लाइन के निर्माण से चम्बल एवं बुंदेलखण्ड के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इस क्षेत्र में रेलों के आवागमन से बहुआयामी विकास का सृजन होगा। चम्बल क्षेत्र में जो विपुल भूमि सम्पदा है, कृषि उपजाऊ जमीन है, उद्यान और औद्योगिक विकास के जरिए इस क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। इसलिए मैं भारत सरकार विशेष रूप से रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि प्रस्तावित रेल लाइन का निर्माण यथाशीघ्र शुरू कर दिया जाए...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा को डॉ. भागीरथ प्रसाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री हरीश मीना (दौसा) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया...(व्यवधान)

महोदय, यह ऐसा राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, जिसमें कुछ ताकतें भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त एससी, एसटी और ओबीसी के रिज़र्वेशन को समाप्त करने पर तुली हुई हैं। अभी हाल ही में आईआईटी रुड़की ने 73 स्टूडेंट्स को एक्सपेल किया है। यह लड़के डिज़र्विंग थे और ऑल इण्डिया कम्पिटेटिव एग़ज़ामिनेशन के थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ था। आरक्षण विरोधी शक्तियों ने साजिश रचकर इन बच्चों को एक साल के बाद ही वहां

से निकाल दिया। अगर ये लड़के कमजोर थे तो ये कम्पिटेटिव एग़जाम में कैसे पास हुए? मैं यह मानता हूं कि ये बहुत ही डिज़र्विंग लड़के थे। ऐसा हो सकता है कि किसी चीज की कमी रही हो, लेकिन सरकार को प्रयास करने चाहिए थे। इनकी जो कमजोरी थी, उसको दूर करते और इनको मौका देते। यदि इसी राह पर यह लोग चलते रहे तो सरकार का जो रिजर्वेशन का प्रावधान है, वह बेमानी हो जाएगा। एक हाथ से आप रिज़र्वेशन दे रहे हैं और दूसरे हाथ से आप रिज़र्वेशन हटा रहे हैं। यह गरीबों के साथ अन्याय है। यह पहली बार हुआ है और अगर इसको आज नहीं रोका गया तो आज जो आईआईटी रुड़की में हुआ है, कल आईआईएम या किसी अन्य संस्थान में होगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से और एचआरडी मिनिस्टर से अनुरोध है कि इन बच्चों को फिर से मौका दिया जाए। इनका निष्कासन रद्द किया जाए और इनको दोबारा एडमिशन दिया जाए। इन सभी बच्चों के केस को सहानुभूतिपूर्वक देखा जाए...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. किरिट पी. सोलंकी और श्री पी. पी. चौधरी को श्री हरीश मीना द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बच्चों का विषय शून्य काल में उठाना चाहता हूं जो न बोल पाते हैं, न सुन पाते हैं और न सुन पाते हैं...(व्यवधान)

महोदय, शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को अभी भी सामान्य छात्रों के साथ बराबरी में बैठकर शिक्षा हासिल करना बहुत कठिन काम है। देश में विकलांग बच्चों की संख्या के अनुपात में प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या काफी कम है। संभागीय मुख्यालयों तक पर भी हाई स्कूल नहीं खुल पाये हैं। कस्बों एवं तहसीलों में भी एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की भी कमी है। ऐसे में नगरों एवं महानगरों के बच्चों को शिक्षा के साधन एवं स्थान उपलब्ध होने से वहां के बच्चे तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ जाते हैं, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे शिक्षा से दूर ही रह जाते हैं। सीबीएसई में

भी विकलांग छात्र दसवीं से बारहवीं तक जाते-जाते आधे रह जाते हैं। दिल्ली सहित सभी राज्यों में कमोबेश यही स्थिति है। दिल्ली में वर्ष 2014 में दसवीं की परीक्षा में जहां 2246 विकलांग छात्र थे, वहीं बारहवीं की परीक्षा में यह संख्या 1056 ही रह गयी। केरल में दसवीं में 535 छात्रों ने परीक्षा दी, जबकि बारहवीं में 90 छात्रों ने। महाराष्ट्र में भी दसवीं में 301 बच्चों ने परीक्षा दी। बारहवीं में घटकर संख्या 45 रह गयी। बिहार में दसवीं में 144 विकलांग छात्र थे, बारहवीं में घटकर 40 रह गए। उच्च शिक्षा में भी विकलांग छात्रों की संख्या नगण्य है। एनसीपीईडीपी के एक सर्वे के अनुसार देशभर में लगभग 150 कॉलेजों और विश्विवद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या 1521348 है तथा इनमें विकलांग छात्रों की संख्या 8449 है, जो कुल छात्रों का मात्र 0.56 प्रतिशत है। विकलांगता आधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन के लगभग 20 वर्षों के पश्चात जहां आनिवार्य कोटा तीन प्रतिशत होना चाहिए था, वहां यह मात्र आधे प्रतिशत के आसपास है जो कि बहुत ही निराशाजनक है। आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज में विकलांग छात्रों का जो दो परसेंट का कोटा था, उसमें सात ऐसे छात्रों को प्रवेश मिल गया, जिन्होंने फर्जी विकलांगता के प्रमाणपत्र बनवा लिए। निजी स्कूलों में शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए एडमिशन देने व सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से पूरे देश में हालात हुत ही खराब है। ...(व्यवधान) शिक्षा के व्यावसायीकरण के चलते संवेदनशील मुद्दे पर काफी उदासीनता है। विक्लांग बच्चे समाज की उपेक्षा के शिकार तो होते हैं, विद्यालयों में सहपाठी और शिक्षकों के द्वारा भी उपेक्षित होते हैं तथा परिवार के लोग भी एक समय के बाद उन्हें उनकी हालत पर छोड़ देते हैं। ...(व्यवधान) मंदबुद्धि, नेत्रहीन एवं विक्लांग बच्चों को स्वावलंबी बनाने हेतु शिक्षा प्रथम पायदान है, क्योंकि बिना अक्षर ज्ञान के जीवन की विकलताएं और भी बढ़ जाती हैं। ...(व्यवधान)

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विक्लांग छात्रों की उचित शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता हेतु सर्व शिक्षा आभियान के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में अंध-मूक-बधिर विक्लांग विद्यालयों की संख्या बढ़ाने एवं उनमें प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा मानवीय संवेदनाओं सहित शिक्षा देने की शीघ्र कार्यवाही कराने का सहयोग करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद सिंह और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं करूंगा, अपने प्रदेश की बात नहीं करूंगा, लेकिन देश की बात जरूर करूंगा।...(व्यवधान) पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार मीडिया में एक आतंकवादी के बारे में जिस तरह से बार-बार चर्चा की जा रही है, ...(व्यवधान) एक तरफ हम ह्यूमैन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन ह्यूमैन रिस्पांसिबिलिटी की बात नहीं करते। उसके आधिकारों की बात की जाती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी की बात नहीं कही जाती है।...(व्यवधान) बेगुनाह लोग मरते हैं, उनके बारे में कम दिखाया जाता है, मारने वाले को ज्यादा दिखाया जा रहा है, हमें इस बात की चिंता ज्यादा होती है। ...(व्यवधान) हमें दुख इस बात का है कि भारत लगातार टैररिस्ट्स के लिए सोफ्ट टारगेट बनता चला जा रहा है। क्या हम इस बात पर चिंता व्यक्त करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे या केवल हंगामा खड़ा करते रहेंगे। ...(व्यवधान) मुझे लगता है कि भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है, जो देश के अंदर बैठकर अगर एक झंडा चार लोग उठाते हैं, चालीस करोड़ लोगों तक कौन पहुंचा रहा है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचना पड़ेगा।...(व्यवधान) देश के कोने में एक झंडा उठाया जाता है, लेकिन चालीस करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाता है, क्या हम इस बात पर चिंता नहीं करेंगे।...(व्यवधान) फांसी की सजा 23 वर्षों के बाद दी जाती है, लेकिन चार-चार दिन तक उस पर चर्चा चलती है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बैंच यह तय करता है और चार बुद्धिजीवी लोग रिटाय़र होने के बाद किस विषय पर चर्चा करते हैं। ...(व्यवधान) 23 वर्षों तक बेगुनाह लोग उन्हें फांसी चढ़ाने का इंतजार करते हैं और कुछ लोग अपनी कलमें काली करके उन बेगुनाह लोगों को जिन्हें आज अपना आधिकार मिला है, उसके बारे में चर्चा होती है।...(व्यवधान) इस पर हमें पीड़ा होती है। मेरे हिमाचल प्रदेश के हर चौथे घर से एक फौजी इन आतंकवादियों को रोकने के लिए अपनी जान देता है, अपनी जान कुर्बान करता

है,...(व्यवधान) लेकिन आतंकवाद के नाम पर देश में जहर घोलने वालों द्वारा जब उसे बचाने का प्रयास किया जाता है तो पीड़ा होती है और ये लोग देश की बात करने की बजाय यहां हाय-हाय करते हैं।...(व्यवधान) ये लोग देश को क्या बचायेंगे। इसीलिए मैं बार-बार कहना चाहता हूं कि पीड़ा होती है, जब यहां बैठे हुए ये बच्चे देखते हैं कि सदन को चलाने वाले, देश को चलाने वाले उनकी सुरक्षा की बात नहीं करते, बल्कि अपनी राजनीतिक रोटियां यहां सेकते हैं।...(व्यवधान)

मैं मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि वे चार लोगों की बातें न सुनें, बल्कि देश को आगे लेकर चलें। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद सिंह, निशिकान्त दुबे, गजेंद्र सिंह शेखावत, रामसिंह राठवा, महेश गिरी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। ...(व्यवधान) मैं उत्तर प्रदेश के लोक सभा संसदीय क्षेत्र मिश्रिख से आती हूं। आज उत्तर प्रदेश सरकार की कानून एवं व्यवस्था एकदम से चरमरा गई है।...(व्यवधान) वहां हर दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। पिछले तीन दिन में मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र के विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर, जो कानपुर में पड़ता है,...(व्यवधान) वहां पर मंदना में एक छात्रा के साथ चार लड़कों के द्वारा गैंगरेप किया गया। बिल्हौर के ही दूसरे क्षेत्र मदारपुर गांव में भी एक औरत के साथ बलात्कार किया गया, लेकिन अभी तक वहां उस बलात्कार की एफ.आई.आर. भी दर्ज नहीं की गई।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहती हूं कि अगर उनसे सरकार नहीं चलती है तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ...(व्यवधान) वहां महिलाओं पर

आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। मेरा कहना है कि वहां ऐसा कानून बनना चाहिए, जिससे वहां ऐसा अपराध करने वाले लोगों में उसकी दहशत पैदा हो,...(व्यवधान) ताकि ऐसी घटनाएं फिर से न हों। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यहीं कहना चाहती हूं कि वह उत्तर प्रदेश को सरकार को यह निर्देश दें कि ऐसी घटनाएं दोबारा फिर न हों। ...(व्यवधान) आज वहां हर औरत अपने घर से निकलने में भी डरती है। इसलिए मैं बार-बार यहीं कहूंगी कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को इस बारे में निदेर्शित करे, ताकि ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लग सके। जयहिन्द।

[अनुवाद]

श्री वी. एलुमलाई (अरणी): तमिलनाडु राज्य हज समिति को हज 2015 के लिए तमिलनाडु के तीर्थयात्रियों से 15,032 आवेदन प्राप्त हुए हैं।... (*व्यवधान*) भारत की हज समिति द्वारा वर्ष 2015 के लिए तमिलनाडु राज्य को केवल 2585 सीटों का कोटा आबंटित किया गया है। निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप, 1699 यात्रियों का चयन आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत किया गया है, जबकि 886 सीटें सामान्य श्रेणी के यात्रियों को आबंटित की गई हैं। इस स्थिति के कारण लगभग 12,000 आवेदकों को गहरी निराशा का सामना करना पड़ा है।... (*व्यवधान*) पिछले वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त सीटें जारी की गई थीं, जिससे तमिलनाडु से अधिक संख्या में हज यात्रियों को हज करने का अवसर प्राप्त हुआ। हज 2013 एवं 2014 के दौरान क्रमशः 3696 एवं 2858 तीर्थयात्रियों ने हज यात्रा संपन्न की थी।... (*व्यवधान*) तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा पहले ही इस मुद्दे पर प्रधान मंत्री को पत्र लिख चुकी हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह तमिलनाडु के लिए अतिरिक्त हज कोटा जारी करे ताकि इस वर्ष अधिक तीर्थयात्री हज पर जा सकें। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री शरद त्रिपाठी (**संत कबीर नगर**): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर के अंतर्गत खलीलाबाद चीनी मिल की तरफ आकृष्ट कराना चाहूंगा। ...(व्यवधान) महोदय, संत कबीर नगर पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत ही पिछड़ा हुआ जनपद है। ...(व्यवधान) वहां पर एक मात्र खलीलाबाद चीनी मिल ऐसी

थी, जो वहां के किसानों के नकदी फसल के आय के रूप में थी, लेकिन वहां के मिल के प्रबंधन तंत्र द्वारा जानबूझ कर कुछ भू माफियाओं से सांठ-गांठ कर, विशेषकर वहां के मिल के प्रबंधक की इसमें विशेश भूमिका रही कि उस मिल को अन्यत्र स्थानांतरित करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है और आए दिन वहां से सामान ले जाना शुरू कर दिया गया है। ...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि उस मिल को किसानों के हित के लिए और पिछड़े जनपद के हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह से हटने न दिया जाए। ...(व्यवधान) जिससे किसानों की आजिविका का जो एक मात्र साधन वहां गन्ना था, वह बरकरार रहे। ...(व्यवधान) मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को भी बधाई दूंगा जिन्होंने एक तारीख को इसके लिए विशेष रूप से एक बैठक बुलाई है। ...(व्यवधान) हमारी केंद्र की सरकार किसानों के हित के लिए चीनी मिलों को अब तक छह हज़ार करोड़ रूपये, देश हित में और किसान हित में बिना ब्याज के उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत कर चुकी है। ...(व्यवधान) आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (**दक्षिण दिल्ली**) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली की गंभीर समस्या के बारे में बोलना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) महोदय, दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता के लिए जो पैसा दिल्ली के वैलफेयर के लिए खर्च होना था, एक मुख्यमंत्री ने अपनी महिमामंडन के लिए 526 करोड़ रूपये का वह फंड मात्र एडवर्टाइज़मेंट के नाम से बर्बाद किया जा रहा है। ...(व्यवधान) वह जो एडवर्टाइज़मेंट की जा रही है, वह भी झूठी हैं। ...(व्यवधान) उनमें हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और रिपोर्ट मांगी है। ...(व्यवधान) लेकिन मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली देश की राजधानी है, एनसीटी है, केंद्र सरकार का वहां पर पूरा आधिकार होना चाहिए। ...(व्यवधान) लेकिन वे इस प्रकार के होर्डिंग लगार कर कि वे हमें परेशान करते रहे और हम काम करते रहे, ब्लैकमेलिंग करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर एजुकेशन को लेकर जो फंड बढ़ाया गया है, वह डेढ़ गुना बढ़ाया गया है। ...(व्यवधान) जो पहला फंड था, ट्रेनिंग हैड का वह 2200 करोड़ रूपये था। ...(व्यवधान) अब जो बढ़ाया गया है, वह 4500 करोड़ रूपये तो बढ़ाया है, लेकिन नॉन प्लानिंग का फंड खत्म कर दिया गया है। ...(व्यवधान) पहले सन् 2013-14 में यह फंड 6600 करोड़ रूपये था और अब

बढ़ा कर वह 9800 करोड़ रूपये किया गया है। ...(व्यवधान) वह डेढ़ गुना भी नहीं बनता है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर उस जनता के खून-पसीने के पैसे को जो टैक्स के माध्यम से जनता विकास के लिए सरकार को देती है, वह मुख्य मंत्री उसका दुरूपयोग कर रहे हैं। ...(व्यवधान) इसी प्रकार से वे अपना महिमामंडन करने के लिए एक एडवर्टाइज़मेंट चला रहे हैं। ...(व्यवधान) एक महिला की हत्या दिल्ली के अंदर हो जाती है। ...(व्यवधान) जब दिल्ली के अंदर मुख्य मंत्री कोई और होती है, वे लाचार बताते हैं। ...(व्यवधान) लेकिन आज एक महिला की हत्या होने पर टैलिविजिन और रेडियों में दिल्ली पुलिस के खिलाफ एडवर्टाइज़मेंट देते हैं। ...(व्यवधान) जबकि उनकी आँखों के सामने एक गजेंद्र चौहान नाम का किसान 20 मीटर की दूरी पर आत्महत्या करता रहा और इनके अंदर संवेदनशीलता नज़र नहीं आई। मुख्य मंत्री की पूरी टीम के सामने एक निर्दोष व्यक्ति मारा गया और वह मुख्य मंत्री आज उस एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम से दिल्ली की जनता के पैसे को अपने महिमामंडन में लगा रहा है। ...(व्यवधान) मेरा निवेदन है कि केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले। ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।...(व्यवधान) अभी हाल ही में पूरे देश में रेडी टू ईट फूड, फास्ट फूड, ड्रिंक्स, बोतल बंद पानी में खतरनाक पदार्थों की मानव स्तर से आधिक मात्रा के मुद्दे बड़े जोर-शोर से उठ रहे हैं।...(व्यवधान) कई उत्पादों पर रोक भी लगाई गई है।...(व्यवधान) कई उत्पादों की जाँच सक्षम एजेंसियों द्वारा कराई गई, परन्तु आज भी यह एक बड़ा प्रश्न है कि जो खाद्य पदार्थ इन जाँचों की प्रक्रिया से अभी भी बचे हुए हैं, उन्हें खाने से हमारी सेहत पर पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा क्या है?...(व्यवधान)

जंक फूड स्वास्थ्य के लिए और विशेषकर बच्चों के लिए हानिकारक हैं, ऐसा सभी समझते हैं, परन्तु फास्ट फूड के अलावा बाजार में बिस्कुट, जूस, नमकीन जैसे अनगिनत खाद्य पदार्थ हैं, जिन्हें खाते समय देश का नागरिक अपने आपको डरा हुआ महसूस कर रहा है।...(व्यवधान)

आज देश की जनता सरकार से जानना चाहती है कि किस प्रकार देश के नागरिकों की खाद्य पदार्थों के प्रति सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी?...(व्यवधान) जबकि कई राज्यों में इन पदार्थों की जाँच के लिए प्रयोगशालाएँ तक नहीं हैं और जहाँ हैं, वे भी असक्षम हैं तथा आधिकतर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं करती हैं।...(व्यवधान) सभी खाद्य पदार्थों की जाँच को देश में एक ही एजेंसी के भरोसे छोड़े जाने पर भी प्रश्न उठता है, क्योंकि इनके द्वारा मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब खाद्य पदार्थों के लिए ही नहीं, आपितु रबड़, पेट्रोलियम, रासायनिक आदि के लिए भी काम करती हैं, तथा इनकी संख्या भी देश भर में नाम मात्र की है।...(व्यवधान) इतनी कम लैबों पर देश भर की जाँचों का दबाव होने के कारण गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त होने पर भी संदेह किया जा सकता है। यह भी देखने में आया है कि एक ही पदार्थ की अलग-अलग जाँच रिपोर्ट अलग-अलग बातें कहती हैं, जो कि पूर्णतयाः विरोधाभासी हैं।...(व्यवधान)

पुरानी सरकारों द्वारा की गई गलतियों के भरोसे देश की इतनी बड़ी आबादी के स्वास्थ्य संबंधी विषय को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता है।...(व्यवधान) अब वक्त आ गया है कि देश में ऐसा ढाँचा तैयार किया जाए कि कोई भी खाद्य पदार्थ शत-प्रतिशत शुद्ध होने पर ही बाजार में बिकने के लिए आए। अगर फिर भी भविष्य में उसमें कुछ अस्वास्थ्यजनक पदार्थ पाए जाएं तो ना केवल कंपनी पर भारी जुर्माना हो, बल्कि उस पर आपराधिक केस भी दर्ज किया जाए।...(व्यवधान)

मेरा स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है कि इस मामले को देखा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. परशुरामन (तंजावुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा जी के मार्गदर्शन में, मैं जल संसाधन मंत्री का ध्यान भूजल प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

जल एक प्राकृतिक एवं राष्ट्रीय संसाधन है। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल में से केवल एक प्रतिशत ही हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। एक प्रतिशत उपयोग योग्य जल में से 99 प्रतिशत भूजल है। भूमिगत जल दोहन के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। देश में लगभग 90 प्रतिशत भूमिगत जल का उपयोग कृषि कार्यों हेतु किया जाता है, 8 प्रतिशत घरेलू उपयोग के लिए तथा मात्र 2 प्रतिशत औद्योगिक उपयोग के लिए होता है।

हमारे देश के अधिकांश भागों में जल दोहन की गति पुनःभरण की गति से कहीं अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। इस स्थिति के कारण जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थों के भूमिगत जल भंडार में प्रवेश करने और उसे प्रदूषित करने का गंभीर जोखिम उत्पन्न हो गया है।

हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में भूजल की गिरावट को रोकने के लिए अधिक जल भंडारण की आवश्यकता है। भारतीय जल भंडारण अवसंरचना अन्य देशों की तुलना में बहुत निराशाजनक है और हमें स्वयं को बहुत गंभीर संकट में फंसने से बचाने के लिए जल भंडारण अवसंरचना पर अधिक निवेश करने की आवश्यकता है।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह स्थानीय स्तर पर जल भंडारण के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे।

<u>अपराह्न 3.00 बजे</u>

[हिन्दी]

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे मेरे लोक सभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

मेरे लोक सभा क्षेत्र के विधान सभा जैजैपुर एवं विधान सभा बिलाईगढ़ क्षेत्र से करीब बाइस लोगों को मलेशिया में कमाने-खाने के नाम पर ले जाया गया है और वहाँ उनको बंधक बना लिया गया है।..(व्यवधान) एक व्यक्ति ने अच्छा रोज़गार दिलाने का प्रलोभन देकर मलेशिया ले जाकर, वहाँ सिलेंगोर क्षेत्र के यूरो प्लास्टिक कंपनी में उन्हें काम में लगा दिया है। ...(व्यवधान)

इनके परिवार के सदस्यों के अनुसार अब कंपनी इन्हें वापस आने नहीं दे रही है। बलपूर्वक काम कराया जा रहा है। खाना-पीना भी ठीक से नहीं दिया जा रहा है, तबीयत खराब होने पर उनका इलाज भी नहीं कराया जा रहा है। उनके मोबाइल, पासपोर्ट एवं आवश्यक कागज़ात कंपनी द्वारा छीन लिए गए हैं। ...(व्यवधान)

मैं सरकार से और विशेषकर माननीया विदेश मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि उनके परिवार के लोग उनकी वापसी की गुहार कर रहे हैं। उनकी वापसी की कार्यवाही की जाए और उनको सुरक्षित अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में उनके परिवार के बीच में लाया जाए। ...(व्यवधान)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : उपाध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। मेरे संसदीय क्षेत्र में केवल एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग है झांसी-मिर्ज़ापुर मार्ग। उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। भँवरी से लेकर बरगढ़ तक लगभग 80 किलोमीटर सड़कें पूरी तरह से उखड़ चुकी हैं। यहाँ से माननीय केन्द्रीय मंत्री जी ने निर्देश भी दिया है लेकिन आज तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। हालत बहुत ही विषम है। प्रांतीय और ग्रामीण सड़कों की हालत और भी खराब है। एक किलोमीटर चलने में भी आधे घंटे से ज्यादा समय लगता है। मान्यवर, इससे अरबों रुपये का नुकसान हो चुका है। वाहनों की टूट-फूट से सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसमें बांदा की प्रमुख सड़कें जो राज्य स्तर पर और ग्रामीण सड़कें खराब हैं - बांदा-बगेरू-कमासिन-आमियादी मार्ग, अतर्रा-विसंडा मार्ग, खुरहंड-गिरवां मार्ग, ओरन-कमासिन मार्ग, बबेरू एवं कमासिन-

मरका मार्ग, बांदा-विसंडा मार्ग, हस्तम मार्ग एवं चित्रकूट जनपद में कर्वी-राजापुर मार्ग, भौंरी-बरवारा आदि मार्ग हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह प्रदेश सरकार को इस संबंध में निर्देश दें।

[अनुवाद]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। भारतरत्न *लौहपुरुष* सरदार वल्लभभाई पटेल एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत के भौतिक ढांचे को एक सूत्र में पिरोने के लिए अथक परिश्रम किया।... (*व्यवधान*) यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है कि उनका योगदान आज भी व्यापक रूप से न तो पहचाना गया है, न ही सराहा गया है। वे देशभर में लगभग विस्मृत ही हैं — केवल कुछ औपचारिक अवसरों पर उनका नाम औपचारिकता भर के लिए लिया जाता है।... (*व्यवधान*) चूँकि एनडीए सरकार भारतीय स्मृति चिह्नों एवं प्रतीकों में सुधार की दिशा में अग्रसर है, मैं यह इंगित करना चाहूंगा कि भारत के लौह पुरुष आज भी एक राष्ट्रीय स्मारक की प्रतीक्षा में हैं। ... (*व्यवधान*)

अतः मैं भारत सरकार से सादर अनुरोध करता हूं कि वह 1, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली स्थित उस भवन का अधिग्रहण करने पर विचार करे, जिसमें भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपने कार्यकाल के दौरान निवास किया था। ... (*व्यवधान*) सरकार को चाहिए कि वह उक्त भवन को, जिसमें वर्तमान में एक पूंजीपति उद्योगपति परिवार निवास कर रहा है, पुनः अधिग्रहित करे और वहाँ सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर एक राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना करे। ... (*व्यवधान*) जिसका मुख्य केंद्रबिंदु राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक सुधार, संघवाद तथा ग्रामीण विकास हो। ... (*व्यवधान*) आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब और श्री सी. आर. चौधरी को श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: सभा की कार्यवाही अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 3.03 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न तीन बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.31 बजे

लोक सभा अपराह्न तीन बजकर इकतीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

अपराह्न 3.31 ¼ बजे

इस समय श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे

सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अपराह्न 3.31 ½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 12वां और 13वां प्रतिवेदन

माननीय उपाध्यक्ष: अब सभा मद संख्या 40 पर विचार करेगी।

श्रीमती पूनम महाजन- उपस्थित नहीं।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (जोरहाट): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा क्रमशः 23 और 31 जुलाई, 2015 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों पर समिति के 12वें और 13वें प्रतिवेदनों से सहमत है।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा क्रमशः 23 और 31 जुलाई, 2015 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों पर समिति के 12वें और 13वें प्रतिवेदनों से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.32 बजे

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों, जो देश के विभिन्न भागों में दयनीय दशा में रह रहे हैं, के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम

माननीय उपाध्यक्ष: अब सभा 20 मार्च, 2015 को श्री निशिकान्त दुबे द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा करेगी।

श्री बी. महताब।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): महोदय, कोई गणपूर्ति नहीं है। गणपूर्ति कहाँ है? (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज यहां अपने सहयोगी श्री निशिकान्त दुबे द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। (*व्यवधान*)

महोदय, संकल्प में विशेष रूप से कहा गया है:-

"यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों, जो देश के विभिन्न भागों में दयनीय दशा में रह रहे हैं, के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाए।"

माननीय उपाध्यक्ष: गणपूर्ति उपस्थित है।

... (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि यह संकल्प बहुत प्रासंगिक है और इस सभा को इस पर चर्चा में भाग लेना चाहिए तथा सरकार से कदम उठाने का आग्रह करना चाहिए। (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: यह गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा है।

... (*व्यवधान*)

श्री गौरव गोगोई: कोई गणपूर्ति नहीं है। गणपूर्ति कहाँ है?

माननीय उपाध्यक्ष: गणपूर्ति मौजूद है। यदि आपकी रुचि नहीं है, तो यह एक अलग मुद्दा है। यदि आप गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर विचार-विमर्श में रुचि नहीं रखते हैं, तो यह एक अलग मुद्दा है।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: गणपूर्ति मौजूद है। यदि आपकी रुचि नहीं है, तो यह अलग बात है। यदि आप गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो मुझे सभा की कार्यवाही स्थगित करनी होगी। यही एकमात्र विकल्प मेरे पास शेष रह जाता है।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदय, यह मेरा अनुरोध है। हम गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा के विरुद्ध नहीं हैं। हमने हमेशा इसका समर्थन किया। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नियमों का पालन करते हैं। आज तक मानसून सत्र का विधिवत आरंभ नहीं हुआ है। पिछले दस दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जब यह आंदोलन जारी है, ऐसे में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प को कैसे लिया जा सकता है? हम इसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन केवल एक ही विषय को लेकर कार्य नहीं किया जा सकता। हम गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प के विरोध में नहीं हैं, लेकिन केवल एक ही कार्यवाही को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। यह एक अलग बात है। जब समस्त सदस्य सभा में उपस्थित थे, तो आपके स्वविवेक से, और पूर्व निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुरूप, हमें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में, उन्हीं सदस्यों को गणपूर्ति की पूर्ति के लिए कैसे सम्मिलित किया जा सकता है – यह अपने आप में विचारणीय प्रश्न है।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): उपाध्यक्ष जी, प्राइवेट मेंबर बिल सदस्यों का आधिकार है। ...(व्यवधान) इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ...(व्यवधान) प्राइवेट मेंबर बिल सदस्यों का आधिकार है और सदस्यों के आधिकार का कोई हनन करता है तो वह लोकतंत्र के हित में नहीं है। ...(व्यवधान) इसलिए मैं चाहता हूं कि प्राइवेट मेंबर बिल चालू रहना चाहिए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा में भाग लेने हेतु उपस्थित हुआ हूँ।...(*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री महताब, आप अगली बार अपनी बात जारी रख सकते हैं।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: सभा की कार्यवाही 3 अगस्त, 2015 को पूर्वाह्न 11 बजे तक स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 3.37 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 3 अगस्त, 2015 / 12 श्रावण, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित